कुरुक्षेत्र

मई 1986 मूल्य 1.50

महिलाओं का बदलता रूप व हमारी सदी। मीणा महिलाओं की सामाजार्थिक दशा गुजरात के सूखे में स्वैच्छिक तथा अन्य सेवा संगठनों की भूमिका।

सम्पादक के नाम पत्र आमंत्रित

समग्र ग्रामीण विकास तथा गांवों में व्याप्त गरीबी निवारण कार्य वहां की सामाजार्थिक विषमताओं तथा व्यापक बेरोजगारी को देखते हुए एक कठिन कार्य है जिसके विरुद्ध राष्ट्र/सरकार ने जिहाद छेड़ रखा है, जो उस समय तक जारी रहेगा जब तक कि हर नागरिक विशेषकर ग्रामीण ऐसा जीवन स्तर न प्राप्त करलें कि वह जीवन को अभिशाप न समझ कर वरदान समझने लगे। ऐसा ग्रामीण भारत शहरों की उन्नति में भी चार चांद लगाएगा और देश की एकता और स्वतंत्रता इतनी मजबूत होगी कि उनके विरुद्ध कोई स्वप्न में भी सोचने का साहस नहीं करेगा।

हम सब भारतीयों का कर्तव्य हो जाता है कि हम में से हर एक उन उपायों के बारे में विचारें और कार्य करें जिनसे ऐसे मजबूत, समृद्ध व शक्तिशाली भारत का निर्माण किया जा सके। अतः सम्पादक, "कुरुक्षेत्र" (मासिक) द्वारा उपरोक्त विषयक अब तक हुए ओर आगे किए जाने वाले ग्रामींण विकास संबंधी आपके रचनात्मक (आलोचना सहित) विचारों और सुविचारित उपायों के बारे में 'सम्पादक के नाम पत्र' आमंत्रित हैं जिन्हें एक नियमित कालम के तहत इस मासिक पत्रिका में प्रकाशित करने की योजना है जो नियोजकों/योजनाकारों के लिए ग्रामीण विकास पर आम लोगों/पाठकों के विचारों व रुचियों का आईना स्वरूप भी सिद्ध होगा। पत्र ग्रामीण गरीबी निवारण मुख्य मुद्दा बनाकर सम्पूर्ण ग्रामीण विकास के चाहे जिस मद से संबंधित हो हर दृष्टि (सफलता, खामी, सुझाव, आर्थिकता, सर्वजन सम्मान, समृद्धि हित, नई समाज-रचना आदि) से पूर्ण किन्तु निगर एवं संक्षिप्त हो।

पत्र लेखक को उचित पारिश्रमिक देने का भी प्रस्ताव है।

सम्पादक

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास का प्रमुख मासिक

मई 31 **वैशाख – ज्येष्ठ 1908** **अंक 7**

इस अंक में **पृष्ठ संख्या**

गुजरात के सूखे में स्वैच्छिक तथा अन्य सेवा संगठनों की भूमिका — 2
जयन्त रेलवाणी

स्वर्ग मिला या नरक (लघु कथा) — 6
महाराज

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम—मासिक रिपोर्ट — 7

यों सुधरे मीणा महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक दशा — 8
एस. अलमेलू

एक की महिमा (कविता) — 9
डा० राकेश अग्रवाल

ग्रामीण विकास को नयी दिशा — 10
प्रदीप चतुर्वेदी

ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत पर पेय जल सुविधा — 12

नया मोड़ (कहानी) — 14
सुखबीर

बाजरे की नयी किस्म—एक मीटर से अधिक लम्बी बाल — 18
शिव प्रसाद भारती

हल्दी के विविध उपयोग — 19
शोभागमल जैन

तेज एवं विपुल ग्रामीण विद्युतीकरण से ग्राम्य समृद्धि संभव — 20
राम सहाय मीना

महिलाओं का बदलता रूप व हमारी सदी — 24
कु. लिली सिंह

मधुकलश (रूपक) — 26
भोला प्रशान्त

आदिवासी विकास — 32
रामशरण जोशी

नव-सृजन का गीत (कविता) — आवरण पृष्ठ चार
अखिलेश्वर

'**कुरुक्षेत्र**' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए।

●

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

●

'**कुरुक्षेत्र**' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत, व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : सम्पादक, कुरुक्षेत्र (हिन्दी), कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

दूरभाष : 382406

एक प्रति : 1.50 रु०
वार्षिक चन्दा : 15 रु०

व्यापार व्यवस्थापक : लेख राज बत्रा
सहायक व्यापार व्यवस्थापक : एडवर्ड बेक
सहायक निदेशक (उत्पादन) :
आर० एस० मुंजाल

सम्पादक : जयन्त जहांगीर सिंह
उपसम्पादक : घनश्याम मीणा
आवरण पृष्ठ जीवन अडलजा

गुजरात के सूखे में स्वैच्छिक तथा अन्य सेवा संगठनों की

भूमिका

अकाल : स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात

छप्पनीयों काल से शब्द प्रयोग गुजराती में इतना प्रचलित है कि किसी भी कुदरती विकट परिस्थिति के लिए इसका सहज ही उपयोग होता रहा है। संवत् 1856 में गुजरात में भयंकर अकाल पड़ा था। उस समय का अकाल ऐसा था कि एक स्थान की विकट स्थिति उन्हीं लोगों को भुगतनी पड़ती थीं। आज स्थिति वैसी नहीं है। अकाल की स्थिति में अन्य अनेक स्थानों से लोगों को सहायता

जयन्त रेलवाणी

प्राप्त हो ही जाती है। गुजरात में इस वर्ष अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गयी है किन्तु फिर भी यह स्थिति "छप्पनीया काल" जैसी नहीं है।

वर्तमान सूखे (अकाल) के प्रभाव से पूर्व

गुजरात एक समृद्ध प्रांत है। उद्योगों में उल्लेखनीय प्रगति करने के साथ-साथ कृषि उत्पादन में भी आत्म निर्भरता प्राप्त कर चुका है। गुजरात का कुल क्षेत्रफल 196 लाख हैक्टेयर है। इसके 10.5 प्रतिशत भाग में जंगल है। 50.88 प्रतिशत जमीन खेती के लायक है। 18 प्रतिशत जमीन में सिंचाई करने की पूरी व्यवस्था है। खेती की जमीन में 47.43 लाख हैक्टेयर जमीन पर अनाज की पैदाइश होती है तथा 26.88 लाख हैक्टेयर जमीन में मूंगफली और तिलहन की पैदाइश प्राप्त की जाती है। शेष जमीन पर गन्ने, कपास और तम्बाकू आदि की पैदाइश होती है। पिछले तीस साल के खेती के यदि आकंड़ों पर दृष्टिपात किया जाए तो गुजरात ने प्रशंसनीय प्रगति प्राप्त की है, यह कहा जा सकता है। गन्ने का उत्पादन दस गुना, गेहूं का पांच गुना, मूंगफली का पांच गुना, बाजरे का तीन गुना बढ़ा है। निम्न तालिका से पैदाइश में वृद्धि का ख्याल आ सकता है-

आंकड़े—लाख टन में

पैदाइश	वर्ष 55-56 लाख टन	वर्ष 83-84 लाख टन	प्रतिशत वृद्धि
चावल	2.63	7.54	187
बाजरा	3.91	13.78	252
मक्का	1.75	4.76	172
गुवार	2.91	5.82	100
गेहूं	3.21	16.26	399
अन्य खाद्यान्न	4.16	6.97	68
मूंगफली	3.41	15.04	341
कपास	11.35	14.44	27
गन्ना	0.69	7.75	1023

वर्तमान सूखे (अकाल) का कुप्रभाव

इसके साथ यह भी एक हकीकत है कि इस साल बारिश बहुत ही कम होने के कारण या कई एक स्थानों पर तो बिलकुल न होने के कारण सूखे की स्थिति पैदा हो गयी है और लहलहाते हुए खेत सूखे जाने के कारण पैदाइश नहीं के बराबर हुई है। 75 प्रतिशत खरीफ उत्पादन सूख चुका है। बाजरा, मक्का, जवार आदि के 30.05 लाख मैट्रिक टन लक्षांक के सामने 9 लाख टन का उत्पादन हुआ है। 16.50 लाख मैट्रिक टन मूंगफली उत्पादन लक्ष्यांक के सामने 4 लाख टन उत्पादन हुआ है।

राज्य में कुल 182 तहसील हैं जिनमें से 11 तहसीलों में 6 इंच, 51 तहसीलों में दस इंच, 39 तहसीलों में बारह इंच तथा 14 तहसीलों में बीस इंच, 25 तहसीलों में 30 इंच, सात तहसीलों में 50 इंच (दक्षिण गुजरात) और तीन तहसीलों में अधिक बरसात

हुई है। सौराष्ट्र, कच्छ तथा उत्तर गुजरात में कम बरसात के कारण सूखी हुई जमीन को पर्याप्त पानी प्राप्त नहीं हो सका तथा जलस्रोतों में पानी का संचय नहीं हो पाया।

मानसून पूरा होने तक सौराष्ट्र के कुल 62 जलाशयों में से 14 जलाशय बिलकुल खाली रह गये तथा 18 में मामूली पानी का संचय हो पाया। कुछ महत्वपूर्ण बांधों के पानी की क्षमता तथा संचय इस प्रकार है।

	क्षमता (फीट में)	संचय (फीट में)
भादर डैम जैतपुर	34	5.5
आजी राजकोट	29	11.80
मोजेक उपलेटा	44	18
लालपरी राजकोट	15	5.33
फोफल घोराजी	25	6
न्यारी राजकोट	22	7
मच्छु I मोरवी	49	16
ब्राह्मणी हलवद	27	10
हसनापुर जूनागढ़	34	12
मधुमती	51	19
हिरण	29	6
शिंगपैडा	61	34
पुनु जामनगर	15	8
सरामेई जामनगर	22	8
घी डैम खंभालिया	20	9
वरतु जामनगर	23	12
शैत्रुंजी भावनगर	34	7
रांघौला	30	6
खौडियार अमरेली	75	55
लींबडी	20	3.90
भोगावा वडवाणा	19	6.75

शेष सभी डैम या तो खाली रहें या नामत: पानी था। कुल मिलाकर सौराष्ट्र में 12.30 प्रतिशत पानी उपलब्ध था। राजकोट जिले में 8.40 प्रतिशत, सुरेन्द्रनगर 12.90, जामनगर 21 प्रतिशत, भावनगर 9.80 प्रतिशत, जूनागढ़ 18 प्रतिशत, अमरैली 25 प्रतिशत। किन्तु मानसून के बाद के तीन महीनों में पानी के उपयोग तथा वाष्पीकरण के कारण बहुत सारे बांध बिलकुल सूख गये। बहुत थोड़े बांधों में पानी की मात्रा जो अभी शेष है, वह भी आगामी मासों तक सूख जाने की संभावना है। कम बरसात के कारण सूखी हुई जमीन में पानी का संचय नहीं हो सका है परिणात: जमीन में से पानी का स्तर और नीचे चला गया। फलत: बहुत सारे कुएं सूख गये। जहां 40-50 फुट बोरिंग करने से पानी मिल जाता था वहां अब 150-200 फुट तक नीचे तक पानी की उपलब्धता नहीं होती। पानी की इस विकट समस्या को अकाल से भी अधिक गंभीर रूप में सामना करना पड़ सकता है। पानी को वैसे भी प्राण कहा गया है। शीत ऋतु में जब लोग बिना पानी के बिलख रहे थे तब अप्रैल से लेकर मानसून बैठने तक की स्थिति कैसी होगी इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। बहरहाल तो लोगों के प्राण पानी में ही अटके हुए हैं।

गुजरात राज्य के कुल 19 जिलों में से 16 जिले सूखे की चपेट में आ चुके हैं। कुल 18 हजार गांवों में से 15 हजार गांव अकाल तथा जल संकट से ग्रस्त हैं। अनाज घास तथा अन्य जीवनोपयोगी चीजें और दूसरे प्रांतों से आयात करने की व्यवस्था करके अकाल का मुकाबला किया जा सकता है। किन्तु गंभीर संकट पानी का है।

1970 से गुजरात में सौराष्ट्र, कच्छ तथा उत्तर संभागों में ऋतुओं की असामान्य तौर पर तबदीलीयां होने लगी हैं। अतिवर्षा, अल्प वर्षा, तूफान, सामान्य स्तर में अधिक गर्मी या सर्दी हर साल परिवर्तन होता रहा है। इस वर्ष सूखे की गंभीर परिस्थिति से पैदा हुई संकट स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी स्तरों पर राहत कार्य शुरु करने का अभिगम अपनाया गया है।

गांवों से लेकर नगरों तक जल संकट खड़ा हो गया है। गांवों में पशुओं के लिए चारे की विकट स्थिति पैदा हो गयी है। परिणामत: पानी के दाम पर पशु बिक जाते हैं तथा कसाई खाने पहुंच जाते हैं। खेत सूख जाने के कारण कृषि उत्पादन न्यूनतम हुआ है अत: गांवों में रोजी-रोटी की समस्या खड़ी हो गयी है।

सूखे से समर

गुजरात मंत्री मण्डल ने सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए 405 करोड़ रु० का मास्टर प्लान बनाया है। इसके अन्तर्गत पानी पहुंचाने की विविध योजनाएं बनायी गयी हैं तथा 450 टैंकरों की व्यवस्था भी की जायेगी। दुधारु पशुओं को घास चारे के लिए व्यवस्था का भी प्रावधान है। बोरिंग कार्य के लिए अधिक रिंग्स प्राप्त की जायेगी। जिन जलस्रोतों में थोड़ा भी पानी बाकी बचा है, उसे वाष्पीकरण से बचाने के लिए रसायनिक उपयोग भी किया जाएगा। 19 दिसंबर को मंत्रीमंडल की बैठक में राहत कार्य के लिए दिये जाने वाले वेतन में वृद्धि की गयी है। पहली जनवरी 86 से मजदूरी का भुगतान दर सात रुपये से बढ़ाकर ग्यारह रुपये करने का निर्णय लिया गया। इससे सरकार के ऊपर 96 करोड़ रुपयों का अधिक बोझा बढ़ने की संभावना है। विविध क्षेत्रों में राहत कार्य के लिए मास्टर प्लान बनाये गये हैं जिसके अन्तर्गत 24 करोड़ मानव दिवस रोजगारी का आयोजन किया गया है।

कच्छ में जल संकट ग्रस्त गांवों को पानी पहुंचाने के लिए 9.47 करोड़ की योजना मंजूर की गयी है। जनवरी महीने से गरीब परिवारों को 450 रुपये प्रति महीने की सहायता देने का कार्य शुरु

कर दिया गया है।

साबरकांठा जिले में आदिवासी जनसंख्या अधिक है। इस जिले में आदिवासी विशिष्ट योजना के तहत आयोजन किया गया है। मेघराज तहसील के 128 गांवों के ग्रामजनों को मक्का, ज्वार, बाजरा सरकारी दुकानों से सस्ते दामों पर देने का आयोजन किया गया है। इस क्षेत्र में कृषि उत्पादन बिलकुल नहींवत हुआ है। अतः बड़े किसान भी संकट की स्थिति में आ गये हैं। हजारों की संख्या में पशुधन के लिए विकट समस्या पैदा हो गयी है। कूंएं तालाब सब सूख चुके हैं।

मेहसाना जिले में 21 राहत कार्य शुरु किये जा चुके हैं। इस जिले के सभी तहसीलों की स्थिति अधिक विकट है। कई ग्रामवासी अपने घर बार छोड़-छोड़कर रोजगार के लिए हिजरत कर रहे हैं।

मानसून के अंत में भावनगर में बरसात हो जाने के कारण विकट स्थिति कुछ हद तक कम हो गयी। खिचते-खिचते आगामी चौमासे तक जलाशयों से पानी की व्यवस्था की जा सकेगी। फिर भी कई इलाकों में पेय जल तथा सिंचाई जल की समस्या है। जिले में कुल 906 गांव हैं जिनमें से 234 गांवों की स्थिति अधिक विकट है। जबकि पेय जल का संकट तो 692 गांवों को करना पड़ रहा है।

अमरैली जिले के 10 तहसीलों में 781 राहत कार्य शुरु किये गये हैं जिसके अन्तर्गत 10.35 करोड़ खर्च किये जायेंगे।

पिछले कई सालों से जूनागढ़ जिले के ऊपर कुदरती प्रकोप होते आये हैं। 1975 में अकाल पड़ा था। 1980 में माघ महीने में बरसात पड़ने के कारण खेती को अत्यधिक नुकसान हुआ था। 1983 में अतिवृष्टि के कारण बर्बादी हुई थी।

दोहरी मार

वंथली तहसील में कई गांवों के गरीब लोगों को 1983 के जल प्रकोप के कारण अपने मकान पुनः बनाने के लिये ऋण दिये थे, जिसकी किश्तें अभी पूरी भी नहीं हुई हैं कि 1985 में अब अकाल की स्थिति पैदा हो गयी है। इन लोगों के साथ त्रासदी यह है कि 1980 में शीत वर्षा के कारण जो नुकसान हुआ था तथा खेतों का लेवलिंग किया गया था वह 1983 मे पुनः जल प्रकोप में धुल गया।

जूनागढ़ जिले में मूंगफली और कपास का केवल चौथा हिस्सा ही पैदा हुआ है। गन्ने की खेती उत्पन्न होने की संभावना थी किन्तु पानी के अभाव में वह भी सूखने लगी और कच्चा गन्ना अब पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। गेहूं की पैदाइश बिलकुल ही नहीं हो पायी। बाजरे और ज्वार की पैदाइश भी पर्याप्त नहीं हुई तथा शाक-भाजी तो पानी के अभाव में सूखने लगी हैं।

जामनगर जिले व शहर की स्थिति अत्यन्त गंभीर है। जिले में 1.19 करोड़ रुपये की राहत योजना बनायी गयी है। इन राहत कार्यों में जल प्राप्ति के लिए बोरिंग, नलकूप आदि तथा टैंकरों द्वारा पानी पहुंचाने के कार्यों को प्राथमिकता दी गयी है। पशुओं को चारा उपलब्ध कराने के लिए 6 बड़े घास केन्द्र शुरु किए जा चुके हैं।

राहत कार्य

राजकोट जिले के 867 गांवों में से 625 गांवों में पानी की विकट परिस्थिति पैदा हो गयी है तथा राजकोट शहर में पानी ने तो आग सी लगा रखी है। जिले में 28 करोड़ रुपये के कुल 970 राहत कार्य शुरु करने का आयोजन किया गया है। इनमें से 167 कार्य प्रारम्भ हो चुके हैं। अपर्याप्त वर्षा के कारण खरीफ तथा रबि फसल में जो नुकसान हुआ है उसका अंदाज पौने दो अरब रुपयों तक का है। खरीफ फसल में 145 करोड़ तथा रबि की फसल में 30 करोड़ का नुकसान हुआ है। कुल बरसात 271 मिलीमिटर होने के कारण मूंगफली का उत्पादन केवल 10 प्रतिशत ही हो पाया है। 84-85 में मूंगफली का उत्पादन प्रति हैक्टेयर 450 किलो हुआ था जबकि इस साल मात्र 85 किलो ही हुआ है। बाजरा, ज्वार, कपास, दालें आदि की पैदाइश केवल 30 प्रतिशत है। जिले में पशुधन की संख्या 12 लाख के आसपास है। उनके लिए 13 लाख टन मैट्रिक टन चारे की आवश्यकता रहती है। किन्तु केवल 1.70 लाख का उत्पादन होने के कारण 11.30 लाख टन चारे की आयात करने की व्यवस्था करनी होगी।

राजकोट में 1974 में भी पानी की विकट समस्या पैदा हुई थी। किन्तु इस साल सभी जलस्रोतों के सूख जाने के कारण स्थिति अधिक विकट हो गयी है। रोजगारी के कारण कई ग्राम्यजन गांव छोड़कर शहर आ रहे हैं। किन्तु शहरों में पानी गली-गली टैंकरों द्वारा पहुचाया जा रहा है। पानी के लिए लोगों की कतारें लग जाती हैं। पानी की बिक्री तक शुरु हो चुकी है। राजकोट को पानी पहुंचाने के लिए भादर पाइप लाइन है किन्तु वह सड़ चुकी है। जैतपुर से नई पाइप लाइन द्वारा पानी लाया जा सकता है। किन्तु जैतपुर के लोगों ने इस योजना का विरोध करते हुए कहा है कि प्यासा दूसरे की प्यास कैसे बुझा सकता है। जबकि राजकोट की स्थिति ऐसी है कि यदि इस योजना के अन्तर्गत पानी नहीं लाया गया तो अप्रैल तक लोगों को राजकोट खाली कर देने की नौबत आ सकती है।

नर्मदा आदि दीर्घकालीन योजनाओं को जब कार्यान्वित किया जायेगा तब की बात अलग है। किन्तु इस वक्त आवश्यकता है तुरन्त पानी पाने की। महानगरपालिका ने भादर से पानी लाने की 16 करोड़ रुपयों की नयी योजना बना ली है और सरकार ने साणंद से रेलगाड़ी द्वारा पानी लाने की योजना घोषित की है। राजकोट स्थित उजला उद्यान के एक कुएं से हर रोज 5 लाख गैलन पानी

पंपिंग किया जाकर फिलटर करके हर दूसरे दिन शहर को केवल 15 मिनिट की समय मर्यादा तक सप्लाई किया जाता है, जिसका उपयोग पीने के लिए होता है। विविध मोहल्लों में बोरिंग करके नलकूप बनाये जा रहे हैं तथा कुओं की गहराई भी बढ़ायी जा रही है।

समितियों का गठन

राहत कार्यों के लिए प्रत्येक जिले में एक समिति का गठन किया गया है। समिति में जिला समाहर्ता, विकास अधिकारी, स्वास्थ्य तथा यांत्रिक अधीक्षक व विद्युत बोर्ड के इंजीनियर का समावेश किया गया है। प्रति सप्ताह इस समिति की बैठक होगी और मास्टर प्लान के तहत कार्य की समीक्षा की जायेगी तथा कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए गतिविधियां की जायेंगी। इस कार्य के लिए जिला समाहर्ता को वित्तीय अधिकार दिये गये हैं। अतः योजनानुसार कार्य करने के लिए बार-बार राजधानी गांधीनगर दौड़ना न पड़े। तदुपरान्त मंत्रियों को जिले का कामकाज देखने के लिए निरीक्षण का बंटवारा किया गया है।

पेयजल की आपूर्ति के लिए 2 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। सौराष्ट्र के लिए 4 क्षेत्र बनाये गये हैं जिन्हें 69 लाख प्रदान किये जायेंगे। शेष रकम गुजरात समाज के लिए खर्ची जायेगी।

खेत उत्पादन के लिए गुजरात सरकार ने 1985 से बीमा योजना शुरु की थी और पहले साल में ही पैदाइश सूख गयी। खरीफ मौसम के दौरान 39 हजार कृषकों ने इस योजना के लिए आवेदन पत्र दिए थे। अब सरकार ने उन्हें नुकसान के एवज में 15 करोड़ रुपये का भुगतान करने का एलान किया है।

ब्रिटिश शासन के दौरान सन् 1886 में अकाल पंच की नियुक्ति की गयी थी जिसकी रपट सन् 1902 में पेश की गयी। किन्तु स्वतंत्रता के पश्चात् ऐसा कोई पंच नियुक्त नहीं हुआ। हालांकि कई बार अकाल व सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ा है।

गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 4 हजार किलोमीटर ग्राम्य सड़कें बनाने के लिए विश्व बैंक ने 190 करोड़ की योजना को स्वीकृत किया था जो केन्द्र के समक्ष पड़ी है। इस योजना को यदि कार्यान्वित किया जाए तो राज्य के 14 हजार गांवों के लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकता है। अहमदाबाद, बड़ौदा, हाई वे के लिए 120 करोड़ की योजना का संयोजन स्वीकार किया गया है। कच्छ के बिन्नी क्षेत्र के रणप्रदेश में मिकेनाइज्म, ड्राइ फार्म बनाने की योजना है। पारण भीलडी के बीच रेलवे लाइन की स्वीकृति प्रदान हो चुकी है तथा भावनगर तारापुर रेल लाइन की मांग पिछले 40 सालों से होती आ रही है, जिसे पूरा नहीं किया जाता। इस वक्त भावनगर से बम्बई के लिए मेल ट्रेन का फासला 18 घण्टों का है जो इस लाइन से 12 घण्टों का हो जायेगा। यात्रा के साथ व्यापार वृद्धि भी हो सकती है। भावनगर के महाराजा के अनुदान देने की व्यवस्था करने तथा सर्वेक्षण भी पूरा हो जाने तक का 40 किलोमीटर का छोटा सा भाग बड़ी लाइन से जोड़ देने से समग्र सौराष्ट्र और कच्छ का फासला कम हो जायेगा तथा यात्रा के साथ-साथ व्यापार में भी वृद्धि होगी, यह समझने और मानने के बावजूद कोई प्रगति नहीं हो पायी।

भूतकाल में ऐसे उदाहरण हैं कि किसी राज्य में अकाल की स्थिति के कारण राहत कार्यों में पैन्डिंग योजनाओं को भी पूरा किया गया है। हालांकि इस वक्त कार्यों में केवल बोरिंग, कुएं वगैरह खोदने, सिंचाई, सड़क आदि के कार्य किए जा रहे हैं, दीर्घकालीन योजनाओं के लिए लाभान्वित कार्य नहीं हो रहे।

गुजरात में राष्ट्रीयकृत बैंकों की क्रेडिट डिपोजिट औसतन 53 प्रतिशत है। अन्य राज्यों में 87 से 97 प्रतिशत तक है। क्रेडिट औसत बढ़ाकर ग्रामीण लोगों को अधिक ऋण दिया जा सकता है।

टैंकरों द्वारा पानी पहुंचाने की व्यवस्था करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में टैंकर उपलब्ध नहीं है। राज्य के पास कुल 310 टैंकर थे और इस वर्ष 100 नये खरीदे गये हैं। समग्र राज्य के लिए ये मात्रा पर्याप्त नहीं है। उधर खाद उत्पादन के केन्द्र नर्मदा वेली फर्टीलाइजर कारपोरेशन ने टीवी और स्कूटर उत्पदान करने की योजना बनायी है।

भावनगर से कैम्बे तारापुर का समुद्रीय मार्ग केवल 25 नोटीकल मील का है। लाइन द्वारा नर्मदा का पानी सौराष्ट्र तक पहुंचाया जा सकता है।

पिछले एक दशक से सौराष्ट्र में मौसम अनियमित ही रहा है। बरसात की औसतन मात्रा घटती जा रही है। अतः पानी की समस्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि नर्मदा योजना के अन्तर्गत सौराष्ट्र कच्छ तक पानी पहुंचाने की मांग कई सालों से बढ़ती रही है। गुजरात क्षेत्र में ताप्ती, नर्मदा, मही, विश्वामित्री, साबरमती बड़ी-बड़ी नदियां हैं जबकि सौराष्ट्र में केवल शैत्रुंजी व भादर, नदियां ही हैं और इनमें से एक भी बारहमासी नदी नहीं है। सौराष्ट्र सागर के किनारे बसा है फिर भी पानी में मीन प्यासी वाली बात चरितार्थ हो रही है। हलवद, धांगध्रा, रण प्रदेश हैं। अतः बहुत सारा क्षेत्रफल रण तीस खारी जसीन में बंट जाता है। नर्मदा योजना के अन्तर्गत चौटीला के पास पानी लिफ्ट करके सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने की योजना है। किन्तु अगर जसदण और राजकोट के समीप सरधार के पास तक लिफ्ट की योजना बढ़ाई जाए तो स्थायी तौर पर पीने के पानी की समस्या का हल हो सकता है।

सौराष्ट्र के लोक प्रतिनिधियों के इस मांग पर जोर देने के कारण मुख्यमंत्री ने नर्मदा का पानी दूर सौराष्ट्र तक पहुंचाने का संकेत दिया है। जामनगर, जूनागढ़, अमरेली तक सिंचाई योजनाओं के लिए पानी पहुंचाने का आयोजन किया जायेगा तथा सौराष्ट्र के 158 जलाशयों को पानी से भरा जा सकेगा।

कुअवसर से भी लाभ उठाया जाए

सूखे हुए तालाब और जलस्रोतों में बरसों से एकत्रित हुए कीचड़ आदि को साफ करके जल स्रोतों को गहरा बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। कैचमेन्ट ऐरिया तथा कीचड़ साफ करके जल स्रोतों की क्षमता बढ़ायी जा सकती है।

सेवी संगठनों का योग

दुधारु पशुओं की समस्या भी विकट बनी हुई है। उन्हें कतलखाने जाने से बचाने के लिए सरकारी तथा सामाजिक स्तर पर केवल कैम्पस खोले गए हैं। पशुओं के आहार के लिए घास चारे की कोई व्यवस्था नहीं है किन्तु व्यवस्था की जा रही है। अन्य स्थानों से घास मंगवाया जा रहा है। घास पैदा करने के लिए तुरन्त कार्य किए जा रहे हैं। गन्ने की खेती निष्फल जाने के कारण कच्चा गन्ना पशुओं को दिया जा रहा है। राज्य के 8 सरकारी चीनी उत्पादक कारखानों ने सस्ते दामों पर चारा देने की घोषणा की है।

जूनागढ़ के बिलखा में रावतेश्वर मंदिर में 1500 गावों को सुरक्षित रखा गया है तथा चारे की व्यवस्था की गयी है। पोरबन्दर में महंत विश्वंभरदासजी ने 15 हजार गायों को रखने की व्यवस्था करने की घोषणा की है।

जामनगर में बाणुंगार, खीमराणा तथा खिजडिया में दुधारु पशुओं के लिए तीन कैटल कैम्प खोले जा चुके हैं। खंभालिया के मैवाणा गांव में 8 हजार दुधारु पशुओं को आश्रय दिया गया है। बीछीयां में 1000 दुधारु पशुओं को रखने की व्यवस्था की गयी है।

पोरबन्दर में खापर गांव में एक सौ एकड़ जमीन पर कैटल कैम्प का आयोजन किया गया है जहां 1500 पशुओं की देखभाल की जायेगी। राम कृपा गौ सेवा ट्रस्ट द्वारा यह आयोजन किया गया है।

बोटाद में 5 हजार तो राजकोट में 2500 पशुओं के लिए तथा अन्य स्थानों पर कैटल कैम्प खोले गए हैं।

इसके साथ-साथ जहां लोगों और सामाजिक संस्थाओं का मानवीय दृष्टिकोण दिखायी देता है वहां योजना कार्यों की प्राथमिकता पर राजनीतिक आरोपबाजियां और राहत कार्यों में भ्रष्टाचार के उदाहरण बढ़ते जा रहे हैं। पानी से लगायी हुई आग पानी द्वारा ही बुझायी जा सकेगी, यह भुलाया नहीं जाए तो इतना समझ लेना ही गनीमत होगा। □

7/12, जंक्शन प्लाट,
राजकोट-360001

लघु कथा

स्वर्ग मिला या नरक

महाराज

एक साधु एक गाँव की एक गली से गुजर रहा था कि अचानक उसके कानों में ये शब्द पड़े—"जा! जाकर पता कर कि सेठ धर्मपाल स्वर्ग गया है या नरक?" ये शब्द एक बुढ़िया अपने पोते से कह रही थी।

साधु सोचने लगा, यह रहस्य तो मैं भी नहीं जानता, इसे जानना चाहिए, और वह वहीं रुक गया, थोड़ी देर बाद लड़के ने आकर बताया, "सेठ नरक गया है।"

साधु ने बुढ़िया के चरण पकड़ लिए। बुढ़िया ने पैर छुड़ाते हुए कहा, "यह क्या कर रहे हैं महाराज, मैं अस्पृश्य हूं।"

"मनुष्य किसी जाति-कुल में जन्म लेने से स्पृश्य-अस्पृश्य या बड़ा-छोटा नहीं होता, अपितु वह ऐसा अपने गुणों-अवगुणों से होता है। आप में जो गुण हैं उसके अनुसार आप स्पृश्य ही नहीं, पूज्य भी हैं।"

"कौन सा गुण है मुझ में?" बुढ़िया ने हैरान होकर पूछा।

"बड़े-बड़े ऋषि-मुनि भी यह नहीं जानते कि मरकर कौन स्वर्ग गया है और कौन नरक? लेकिन आप की बात तो दूर, आपका पोता भी यह जानता है।"

"इतनी सी बात", बुढ़िया हँसी, "अरे! इसमें जानने की कौनसी बात है? जिसके मरने पर लोग रोयें, जिसकी लोग प्रशंसा करें, जिसके लिए कहें—'उसे स्वर्ग में भी सम्मान मिलेगा'; तो उसे निश्चय ही स्वर्ग मिलेगा और जिसके मरने पर लोग घी के दिये जलायें, कहें—'भला मरा, बड़ा दुष्ट था, पापी को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी', तो समझ लो वह नरक गया है। जो व्यक्ति संसार के लोगों की दृष्टि में अच्छा नहीं है, जो संसार के लोगों को प्रसन्न नहीं कर सका, वह ईश्वर की दृष्टि में अच्छा कैसे हो सकता है? ईश्वर, स्वर्ग या परम पद की प्राप्ति उसी को हो सकती है, जो अपने पावन चरित्र से जनता-जनार्दन को मुग्ध कर ले। □

स्थान पो० एवनी (झाँसी)-284204
(उ०प्र०)

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम: मासिक रिपोर्ट

पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर दो क्षेत्रीय कार्यशालाएं क्रमशः 2-3 जनवरी, 1986 और 13-15 जनवरी, 1986 को आयोजित की गई थीं। इनमें बैंकरों, जनरल इंश्योरेंस कम्पनी और तत्संबंधित राज्य सरकारों के अधिकारियों ने भाग लिया था।

1985-86 के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की वार्षिक कार्य-योजना के अनुमोदनार्थ तमिलनाडु की राज्य-स्तरीय समन्वय समिति की बैठक मद्रास में 10.1.86 को हुई थी। इसी प्रकार की महाराष्ट्र राज्य की बैठक बम्बई में 16.1.86 को हुई थी।

"विशेष पशुधन संवर्धन कार्यक्रम" के अन्तर्गत 49.245 लाख रुपये की राशि के अतिरिक्त केन्द्रीय अंश के रूप में विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 14.19 करोड़ रुपये की राशि मुक्त की गई थी।

ट्राइसेम के अंतर्गत प्रशिक्षण के वर्तमान ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ राज्यों को 21,77,019 रुपये की राशि मुक्त की गई थी।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

केन्द्रीय सहायता के रूप में 13 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 2969.62 लाख रुपये की राशि मुक्त की गई थी।.

जम्मू-कश्मीर तथा राजस्थान राज्यों को "अतिरिक्त" खाद्यान्नों के रूप में 1,56,500 मीटरी टन गेहूं की और मात्रा भी आबंटित की गई है। अब तक, इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को कुल 6,89,700 मीटरी टन गेहूं की मात्रा आबंटित की गई है।

अतिरिक्त गेहूं की संभाल और ढुलाई के लिए कुछ राज्यों को 92.00 लाख रुपये की अग्रिम आर्थिक सहायता मुक्त की गई है। अब तक, कुल 1079.40 लाख रुपये की अग्रिम आर्थिक सहायता. मुक्त की गई है।

1985-86 में "अतिरिक्त खाद्यान्नों" के रूप में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सप्लाई किए जाने वाले गेहूं की लागत के लिए भारतीय खाद्य निगम को भुगतान हेतु 86.00 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान मंजूर किया गया है।

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने के लिए हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि प्रायः सूखा से प्रभावित इलाकों में सूखा रोकने की समस्या को समन्वित ढंग से हल किया जाए जिसका दीर्घ-कालीन उद्देश्य ऐसे इलाकों से सूखा को दूर करना हो। इस कार्य हेतु विभिन्न कार्यक्रमों अर्थात् सूख-संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास गारंटी कार्यक्रम तथा अकाल राहत के अन्तर्गत उपलब्ध निधियों का उपयोग समन्वित ढंग से किया जाना चाहिए।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत 2004 351 लाख रुपये तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए मकानों के निर्माण की विशेष योजना के अंतर्गत 111.00 लाख रुपये की राशि कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को मुक्त की गई है।

कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत 3144.8351 लाख रुपये की अनुमानित लागत की 9 परियोजनाएं तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए मकानों के निर्माण की विशेष योजना के अंतर्गत 1299.05 लाख रुपये की अनुमानित लागत की 8 परियोजनाएं अनुमोदित की गई थीं।

प्रशिक्षण

निम्नलिखित कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद द्वारा आयोजित किए गए थे:-

(क) "निर्धनता निवारण कार्यक्रमों की आयोजना और उसका प्रबंध" पर पाठ्यक्रम।

(ख) "ग्रामीण विकास के लिए भविष्य विज्ञान" पर कार्यशाला।

(ग) "भारत सरकार के अवर सचिवों के लिए ग्रामीण विकास" पर पाठ्यक्रम।

(घ) "ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास" के लिए प्रशिक्षण नीतियों पर संगोष्ठी।

(ङ) "सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आपूर्ति-प्रबन्ध" पर कार्यशाला।

जन सहयोग

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष के लिए दान के रूप में 10,250 रुपये की राशि प्राप्त हुई थी। अब तक प्राप्त कुल दान 72,00,250/- रुपया हो गया है।

"निर्धनता निवारण कार्यक्रमों के लाभार्थियों का संगठन" की नई केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के कार्यान्वयन की पद्धति पर चर्चा करने के लिए चुनिंदा स्वैच्छिक संगठनों, राज्य सरकारों और केन्द्रीय विभागों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक 3 जनवरी, 1986 को हुई थी। □

यों सुधरे मीणा महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक दशा

एस. अलमेलू

गौतमेश्वर, अरनोद का एक प्रसिद्ध एवं पुण्य तीर्थ स्थल है। यह गांव प्रतापगढ़ जिले (राजस्थान) की पंचायत समिति लालगढ़ के अरनोल शहर से 7-8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। यह स्थान पौराणिक एवं ऐतिहासिक संदर्भ में महर्षि गौतम की तपस्या, भगवान शिव, मंगलेश्वर तथा मुगलों के आक्रमण आदि से जुड़ा है। सर्वेक्षण यह भी बताते हैं कि राजस्थान की कुल आदिवासी जनसंख्या का 60% राजस्थान के दक्षिण भाग अर्थात बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर के पूर्ण जिले तथा चित्तौड़गढ़ के प्रतापगढ़ एवं उदयपुर की खैरवाड़ा तहसीलों में बसा है। गौतमेश्वर के पास चीकट, ओडा, रूपाघाटी, पीपलिया, लालगढ़ आदि गांव स्थित हैं। इन गांवों में परिवारों की संख्या निम्न सारिणी में दी गई है:

ग्राम	परिवारों की संख्या	जनसंख्या		
		पुरुष	स्त्री	कुल योग
गौतमेश्वर	34	85	76	161
चीकट	19	63	53	116
रूपाघाटी	18	56	49	105
पीपलिया	13	38	39	77
ओडा	12	72	78	150

इन गांवों में विभिन्न जातियों का वास है। गणना में 'मीणा' जनजाति की संख्या सबसे अधिक है। भूमि इनके जीविकोपार्जन का बहुत बड़ा साधन है। इनका लगभग शत-प्रतिशत भाग खेती-बाड़ी में लगा हुआ है।

पारिवारिक दायित्व

इस क्षेत्र में मीणा महिलायें आदिवासी समाज के एक अभिन्न अंग को प्रकट करती हैं। अनपढ़ होने पर भी वे परिवार के कामों को भली-भांती करती हैं। पति की मृत्यु के उपरान्त बहुत सी महिलायें दूसरा विवाह नहीं करतीं और अपने बच्चों का पालन-पोषण स्वयं की आमदनी से करती हैं। मकान जिसे स्थानीय भाषा में 'टापरा' कहते हैं। ये स्वयं ही बनाती हैं।

धार्मिक रुचि

धार्मिक कार्यों में मीणा महिलायें बहुत रुचि लेती हैं। गांव के पूजा-स्थानों, जहां देवी-देवताओं की मूर्तियां प्रतिष्ठित की होती हैं। वहां की सफाई, तीज-त्योहारों में उनकी गोबर व मिट्टी से लिपाई करना आदि महिलाओं का काम है। व्रत रखना तथा भूत-प्रेतों का भय आज भी उनके धार्मिक विश्वासों में जुड़ा है।

मीणा महिलायें पंचायत के कार्यों में भी भाग लेती हैं। ऐसी महिलायें भी हैं जो पंचायत समिति की मेम्बर हैं।

आर्थिक क्षेत्र

मीणा महिलाओं ने परम्परागत रूप से भूमि पर काम किया है। भूमिहीन ग्रामीण मीणा महिलाओं के द्वारा श्रम-शक्ति के एक बड़े भाग का निर्माण हुआ है। देखने में आया कि इस वर्ग की स्त्रियां कहीं अधिक समर्थ व शक्तिवान हैं, जो कठिन से कठिन समस्याओं को शीघ्र ही सुलझा लेती हैं। आर्थिक गतिविधियों में इनका योगदान पुरुषों के बराबर है।

कृषि के साथ सहायक रोज़गार के रूप में मीणा महिलाओं की प्रवृत्ति वन-सम्पदा का संग्रह करना और उन्हें बेचना है। मैंने मीणा महिलाओं को ईंधन, गोंद, मोम, लाख, निम्बोली, औषधीय जड़ी-बूटियां, हर्ड, बहेड़ा, आंवला, महुआ आदि वनोपजों को अरनोद के हाट में बेचते देखा। शिक्षा से वंचित होने के कारण इन्हें मोल-तोल का ज्ञान कम है। कभी-कभी तो ये महिलायें बीस-बीस किलो के लट्ठे उठाकर हाट में 7-8 रुपये में बेच आती हैं। इन महिलाओं में विशेष जागृति व अपने अधिकारों के प्रति जागरुकता मिलती है।

साक्षात्कार

35 वर्षीया वरदीबाई का कहना है, "बाइयों (महिलाओं) को घर के बाहर भी काम करना चाहिये। इसलिये नहीं कि वे पैसा कमा सकेंगी, बल्कि इसलिये कि वे किसी पर भी निर्भर होने से बच जायेंगी। इसी विषय के पक्ष में नवविवाहिता 23 वर्षीया सुगुना ने सरलभाव से कहा, "ज्यादातर परिवारों में पैसे को लेकर ही झगड़े होते हैं। औरतों द्वारा अर्जित अतिरिक्त आमदनी परिवार की आर्थिक स्थिति में मदद देती है, अतः हम हाट में छोटा-मोटा सामान बेच आते हैं।"

मैंने तनकीबाई से पूछा कि क्या वह पढ़ना-लिखना पसन्द करेगी? तो उसने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, "नहीं, अब तो पढ़ना-लिखना मेरे लिये समय गंवाने के बराबर है....और मैं सीखूंगी भी क्या? इससे तो अच्छा होगा कि मैं खेतों में काम करूं, जंगलों से सामान जुटा कर बेचूं....और अपने परिवार के लिये अधिक धन जुटाऊं।"

उपर्युक्त अध्ययन से विदित होता है कि इस क्षेत्र के गरीब वर्ग तथा मुख्यतः मीणा महिलाओं को काम देने और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये वनोपजों का उचित रूप में उपयोग करने की समाजवादी योजना आवश्यक है। प्राकृतिक साधनों से परिपूर्ण इस क्षेत्र से औद्योगिक आवश्यकतायें भी अनेक प्रकार से पूरी हो सकती हैं। यहां के वनों में हजारों छोटे-बड़े उद्योग छिपे पड़े हैं। इस क्षेत्र के वनों के कच्चे माल को ध्यान में रखते हुए यहां की महिलाओं को, जिन्हें श्रमिक रूप में काम करना पड़ता है सुझाए गए निम्न लिखित नवीन सम्भावित लघु उद्योगों में लगाया जा सकता है।

बांस : बांस एक उपयोगी वनोपज है। कागज बनाने के लिये यह एक उत्तम प्रकार का कच्चा माल है। महिलायें इस कच्चे माल को एकत्र कर सकती हैं।

बेल : जंगली बेल अभी तक लाखों की संख्या में हमारे वनों में है जिसका बड़े पैमाने पर अभी तक कोई उपयोग नहीं हो सका है। किन्तु बेल से उत्तम प्रकार का शरबत, चौकलेट, मुरब्बा तथा मिठाइयां बनाई जाती हैं। यहां की महिलाओं को 'फल-संरक्षण' का प्रशिक्षण दिया जा सकता है जिससे वे यह घरेलू काम करके अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकती है।

आंवला : आंवला से भी अनेक खाद्य-पदार्थ तथा तेल आदि तैयार किये जाते हैं।

वनौषधियां : आयुर्वेदिक जितनी भी औषधियां हैं, उनमें से लगभग 99% हमारे वनोपज से ही निर्मित होती हैं। मीणा महिलाओं को जड़ी-बूटियों का भी अच्छा ज्ञान है। इस क्षेत्र में यदि कोई संस्थान खोला जाय, तो आर्थिक दृष्टि से इन गरीबों को लाभ हो सकता है। इन उद्योगों में लग कर ये महिलायें अधिक तथा नियमित आय प्राप्त करने लगेंगी। अनावश्यक जानमार श्रम सेवायें और काम करने में अधिक गर्व का भी अनुभव कर सकेंगी।

वास्तव में इन आदिवासी महिलाओं को पुस्तक की शिक्षा की इतनी आवश्यकता नहीं जितनी रचनात्मक काम के प्रशिक्षण की, जिसे वे अपनी बौद्धिक शक्ति के अनुसार जब चाहें प्रयोग में ला सकें और आर्थिक जीवन को सुधार सकें। घरेलू कार्यों तथा सृजनात्मकता के मिश्रण से इन मीणा महिलाओं का जीवन सुखमय हो सकता है। □

एफ-51, ग्रीन पार्क (मेन),
नई दिल्ली-110016

एक की महिमा

इतने दीप नहीं चाहिए
एक दीप ही काफी है।
जग उजियारा करने को
सूरज इकला काफी है।

जितना बोझ उठा सकते हो
उतने नग झोली में बांधो।
कुल की शान बढ़ाने को तो
एक फूल ही काफी है।

एक चन्द्र है एक ही सूरज
एक धरा है एक गगन
होगी अपनी अतुलित शक्ति
जाग उठे भारत का जन-जन।

सुख गर दुःख में बदल जाये
तो इतने बच्चे नहीं चाहिए।
देश पे गर विपदा आयें
तो प्यार के बंधन नहीं चाहिए।

साधन की सीमा रेखा का
ध्यान हमें रखना होगा।
जन तो है पर काम नहीं है
ऐसी भीड़ नहीं चाहिए।

डा० राकेश अग्रवाल
"हिमदीप" राधापुरी
हापुड़ (उ.प्र.)

ग्रामीण विकास को नयी दिशा

प्रदीप चतुर्वेदी

ग्रामीण क्षेत्रों में देश की 77 प्रतिशत के लगभग जनता बसती है। उनकी समस्यायें अपने ही प्रकार की हैं, जिनके लिये सुझाव शहरी वातावरण के लिये किये गये विकास कार्यों के अनुरुप नहीं हो सकते। स्वतंत्रता के समय से अब तक विभिन्न प्रकार से समय-समर पर ग्रामीण समस्याओं के बारे में विचार किये गये और उनका हल निकालने का प्रयास भी किया गया है। गांवों में निरक्षता और बढ़ती हुई आबादी दो ऐसी समस्याएं हैं, जिनके कारण ग्रामीण विकास की परियोजनायें अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखला सकतीं। साक्षरता के प्रसार से ग्रामीण जनता में नये-नये पहलुओं को समझने के लिये अधिक क्षमता उत्पन्न की जा सकती है। जहां तक समझ-बूझ का सवाल है, वह आम किसान या ग्रामीण व्यक्ति में, शहरी व्यक्ति के मुकाबले कम नहीं है, बल्कि व्यावहारिक रूप से अधिक ही होंगी। हां, उनके सामने एक समस्या अवश्य है कि उनको जानकारी प्राप्त नहीं होती है। देश में विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ग्रामोद्योग, चिकित्सा, पोषण आदि बहुत से विषयों पर जानकारी प्राप्त हुई तो है परन्तु वह ग्रामीण जनता तक उनको समझा कर पहुंचाई नहीं जा सकी है। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि वैज्ञानिक अनुसंधान का बीस प्रतिशत से भी कम प्रयोगशालाओं से खेतों तक पहुंच सका है। हो सकता है कि कुछ एक कार्यों में यह प्रतिशत और भी कम हो।

इस सबसे यह बात तो स्पष्ट होती है कि प्रयोगशालाओं में काम कर रहे वैज्ञानिकों में यह क्षमता है कि ये ग्रामीण समस्याओं को सही रूप में समझ सकें और किसानों के ही परिवेश में उनका हल ढूढ सकें। साथ ही ग्रामीण जनता में इतनी समझ-बूझ है कि ये अपने महत्व की ओर रुचि या यूं कहिए कि लाभ की बात समझ लेते हैं और उसको कार्यान्वित करने में हिचकते नहीं। इससे यह जाहिर होता है कि कहीं पर प्रचार प्रसार या विस्तार में कोई कमी है जिसके कारण ग्रामीण जनता के उपयोग की तकनीक एवं जानकारी उनके पास तक नहीं पहुंच रही है।

इस बात को ध्यान में रख कर हाल में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन देश के ऐसे भाग में किया गया, जहां के आदिवासी और हरिजन काफी बड़ी संख्या में रहते हैं और जिसे क्षेत्र को "धान का कटोरा" की संज्ञा दी गयी है। परन्तु जहां उत्पादकता मात्र आठ क्विटल प्रति हैक्टेयर ही है और किसान वर्ष में एक फसल ही लेते हैं—यह है मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ इलाका। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में स्थित अन्जौरी डेरी फार्म पर 18 दिन तक एक जन जागृति सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य मूल रूप से ग्रामीण जनता में उनके लिये किये जा रहे कार्यों के प्रति जागृति पैदा करना था। यह प्रयास उनके दरवाजे तक देश के विभिन्न संस्थाओं एवं प्रयोगशालाओं में कार्यरत वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गयी तकनीक को दर्शाने का था। इस जन जागृति सम्मेलन की एक भावना यह भी थी कि जो जानकारी या तकनीक तैयार की गयी है, उसको एक बार दर्शाया जाये और फिर किसानों की प्रतिक्रिया जानी जाये। इसलिये इस जन जागृति सम्मेलन के दो प्रमुख अंग रखे गये, जो एक दूसरे के पूरक थे।

एक तो थी—संगोष्ठियां, जिसमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, चिकित्सा, पोषण एवं ग्रामोद्योग संबंधी विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों ने किसानों तथा ग्रामीण जनता से आपस में बातचीत की और दूसरा अंग था—विज्ञान मेला या जिसे छत्तीसगढ़ की भाषा में विज्ञान मढ़ई कहा गया।

इस मेले में विभिन्न तकनीक एवं उपकरणों के इस्तेमाल से फसलें तैयार करके किसानों को दिखाई गयीं। चौबीस विभिन्न फसलें, जिसमें गेहूं, चावल, दलहन, तिलहन, तंबाकू, सब्जियां, इत्यादि शामिल थीं, किसानों को उगाकर दिखलाई। उससे किसानों को यह विश्वास हो गया कि जो कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं, वह हो भी सकता है। इससे पहले वहां के किसानों की यह मान्यता थी कि वहां की मिट्टी में फसल उपजाना असंभव कार्य है। यदि ये फसलें उगाकर नहीं दिखलाई जातीं तो संभवतः वे लोग विशेषज्ञों की बात को नहीं मानते। इसी प्रकार से एक "ऊर्जा ग्राम" की स्थापना की गयी जिसमें आने वाले वर्षों में गांवों का क्या रूप हो, वह दर्शाया गया था और साथ ही ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों का ग्रामीण ऊर्जा आपूर्ति में कैसे उपयोग किया जाये, यह सारे उपकरण लगाकर दिखलाया गया। हजारों की तादाद में लोगों ने धुंआ रहित चूल्हे व सोलर कुकर खरीदे, जिससे कि यह बात स्पष्ट होती है कि यदि सुविधायें उपलब्ध हैं और उनकी कुशलता उन उपकरणों को चलाकर दिखाई जाये तो उपभोक्ता, शहर हो या गांव, उनको अपनाने में हिचकते नहीं।

इस सम्मेलन के दौरान पशु मेला भी लगाया गया। उसमें देश

के विभिन्न भागों से आये हुए सुधरी नसलों के पशुओं के प्रदर्शन से छत्तीसगढ़ के किसानों में यह जागृति हुई कि उनको भी बेहतर किस्म के पशु रखने चाहिये।

इसी प्रकार से अन्य प्रदर्शनों में ग्रामीण जनता ने बहुत रुचि दिखलाई। इस मेले के दौरान 15 लाख से अधिक व्यक्तियों ने मेला देखकर यह स्थापित किया कि उनको जानकारियां प्राप्त करने में रुचि है।

ग्रामीण विकास के लिये समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम या राष्ट्रीय रोजगार योजना का लाभ आम जनता तक पहुंच तो रहा है परन्तु उनका विश्वास उस अधिकारी तंत्र, ऋणदेयी संस्थाओं आदि के प्रति बिल्कुल नहीं है, जिनके माध्यम से आखिर में उसके लाभ पहुंचता है। इसका तात्पर्य यह है कि हितग्राहियों का विश्वास प्राप्त करने के लिये विशेष प्रयास करने आवश्यक हैं। यदि ऐसा नहीं किया गया तो इन सारी परियोजनाओं को, जिनके लिये ये बनायी गयी है, उनका ही सहयोग प्राप्त नहीं होगा।

ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गयी है और उनके प्रशिक्षण से और साक्षरता से पूरे परिवार की आर्थिक दशा सुधर संकती है। जिस प्रकार से महिलाओं ने नयी तकनीक एवं उपकरणों के प्रति रुचि दिखाई, वह पुरुषों की रुचि से कम नहीं थी।

इस जन जागृति सम्मेलन के प्रयोग से एक बात साबित होती है ग्रामीण विकास के लिये जो कुछ भी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, उसके बारे में यदि जानकारी किसानों तक और ग्रामीण जनता तक पहुंचाई जाये, तो वे अपनी समझ-बूझ से उसका लाभ उठाने के लिये तैयार हैं।

इतना आवश्यक है कि इन हितग्राहियों का विश्वास फिर से परियोजनाओं को चलाने वाले तंत्र के प्रति स्थापित करना नितांत आवश्यक है। एक संभावना यह भी नजर आयी कि अधिक से अधिक स्वयंसेवी संस्थाओं को इस कार्य में लगाया जाये, क्योंकि इसमें कार्य कर रहे व्यक्तियों के प्रति आम जनता में सम्मान और सद्भावना दोनों ही होती हैं।

केन्द्र के ग्रामीण विकास विभाग और मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न संस्थाओं, जैसे इंडियन एसोसिएशन फार द एडवांसमेंट आफ साइंस ने प्रमुख रूप से भाग लिया। इससे यह स्थापित हुआ कि ग्रामीण विकास के लिये सारी संभावनाओं, तकनीकों एवं सुविधाओं को विशेषज्ञों की सहायता से किसानों से परस्पर बातचीत करके आसानी से पहुंचाया जा सकता है, जिससे कि देश के ग्रामीण विकास में तेजी लायी जा सके। □

(आकाशवाणी सामयिकी से साभार)

केन्द्र सरकार द्वारा 34 हजार से अधिक निराश्रित बच्चों को सहायता

केन्द्र सरकार ने 34 हजार से भी अधिक निराश्रित बच्चों को उनकी सुरक्षा और देखभाल के लिए सहायता उपलब्ध कराई है। 1979-80 से 1985 तक केन्द्र सरकार ने 8 करोड़ रुपए का अनुदान तथा इतना ही अनुदान राज्य सरकार ने दिया।

जरुरतमंद बच्चों की सुरक्षा व देखभाल के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र ने चालू वित्त वर्ष में दिसम्बर तक लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए स्वीकृत किये। यह राशि 17 विभिन्न संगठनों को बच्चों के लिए आवास निर्माण के लिए स्वीकृत 23 लाख 50 हजार रुपए के अलावा है।

वर्ष 1974 में केन्द्र सरकार ने जरुरतमंद बच्चों के कल्याण के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना शुरु की। इस योजना का उद्देश्य 18 वर्ष से कम उम्र के परित्यक्त, उपेक्षित, अनाथ और वैध बच्चों को संस्थागत और गैर संस्थागत सेवाओं के माध्यम से आवास, शिक्षा तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। योजना में प्रति बालक/बालिका के लिए भोजन, वस्त्र, शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा पर होने वाले की व्यवस्था है। यह अनुदान प्रति बालक 500 रुपए के गैर आवर्ती व्यय के अतिरिक्त है। सरकार प्रत्येक बच्चे के लिए आवास निर्माण के लिए छह हजार रुपए का भी अनुदान देती है।

इस कार्यक्रम के एक अंग के रूप में एक पोषण सेवा भी तैयार की गई है जिससे, छोटी उम्र से अनाथ हो जाने वाले बच्चों को घर का सा वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। □

ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत पर पेय जल सुविधा

श्री बूटा सिंह द्वारा प्रौद्योगिकी उपयोग करने का अनुरोध

केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री बूटा सिंह ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पूंजी निवेश से पाइप से पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की योजनाओं के स्थान पर कम लागत वाली तकनीक अपनाई जानी चाहिए ताकि सातवीं योजना के अन्त तक देहाती इलाकों में रहने वाले सभी लोगों को पेय जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

मंत्री महोदय राज्यों के ग्रामीण जल आपूर्ति तथा सप्लाई विभागों के प्रभारी मंत्रियों, सचिवों और मुख्य इंजीनियरों के सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए 3454 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय होने के बाद भी संसाधनों का अंतर बहुत अधिक है जिससे कि वर्तमान मानदण्डों के अनुरूप निरापद पेय जल की आपूर्ति के लिए कम लागत वाली तकनीकें अपनाना आवश्यक हो जाता है।

श्री बूटा सिंह ने कहा कि छठी योजना में पता लगाए गए कुल 2 लाख 31 हजार समस्याग्रस्त गांवों में से 1 लाख 92 हजार गांवों में 2485.33 करोड़ रु. की लागत से पेय जल का कम से कम एक सुरक्षित स्रोत उपलब्ध कराया गया है।

प्रौद्योगिकी मिशन

श्री बूटा सिंह ने कहा कि प्रधान मंत्री की स्वीकृति से "हर गांव में पेय जल तथा जल प्रबन्ध" के लिए एक प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की गई है। इस मिशन का लक्ष्य पानी में फ्लोराइडों, लवणता तथा खारेपन और जीवाणुओं द्वारा दूषित जल को कम लागत पर उपचार विधियों का पता लगाना, भू जल को फिर से उपयोग के योग्य बनाना तथा पहाड़ों, मरुस्थलीय और जनजाति क्षेत्रों में पानी को रोकने के परम्परागत तरीकों का विकास करना होगा।

उपयुक्त क्षेत्रों का निर्धारण

कृषि मंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी मिशन लवणयुक्त जल (कठोर जल) का उपचार करने के लिए कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों के माध्यम से प्रौद्योगिक अध्ययन करेगा। उन्होंने राज्यों से अनुरोध किया कि वे इस अवधि में उन क्षेत्रों का पता लगाएं जहां कम लागत वाली इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा सके ताकि जांची परखी प्रौद्योगिकियों के बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए कुछ व्यावहारिक परियोजनाएं उपलब्ध हो जाएं।

श्री बूटा सिंह ने यह सुझाव दिया कि राज्य चाहे पाइप द्वारा जल आपूर्ति के काम को शुरु करने में समर्थ हो जाएं तो भी वर्तमान प्रणालियों के अन्तर्गत ही शतप्रतिशत ग्रामीण जनता तक पेय जल पहुंचाया जाना चाहिए और उसके बाद ही और लागत वाली पाइप जल परियोजनाओं को हाथ में लिया जाना चाहिए।

भूमिगत जल अध्ययन

भूमिगत जल संसाधनों के सावधानीपूर्ण अध्ययन की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर बल देते हुए श्री बूटा सिंह ने कहा कि इस संसाधन के आंकड़े जल विभाजन क्षेत्रों के आधार पर एकत्रित किये जाने चाहिएं और नवीकरण, भूमि संरक्षण एवं अन्य उपायों के माध्यम से भू-जल की उपलब्धता को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिएं। ये प्रयास राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एवं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत किए जा सकते हैं।

कृषि मंत्री ने जल आपूर्ति योजनाओं के स्वास्थ्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी जागरुकता के साथ समन्वय में अभाव पर चिन्ता व्यक्त की और कहा कि प्रसार शिक्षा और शारीरिक कार्यक्रमों के बीच अंतर को समाप्त किया जाना चाहिए।

श्री बूटा सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल संसाधनों के क्षेत्रों के अंतिम चयन में ग्रामीण महिलाओं के साथ परामर्श किया जाना चाहिए और उपलब्ध कराए गए स्रोत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आवासीय क्षेत्रों के पास ही होने चाहिएं। उन्होंने आगे कहा कि एक बार शुरू कर दिये जाने के बाद स्रोतों का रखरखाव भलीभांति देखभाल किया जाना चाहिए।

देहाती इलाकों में सफाई

श्री बूटा सिंह ने कहा कि प्रधान मंत्री ने हाल ही में सातवीं योजना के दौरान देहाती इलाकों में सफाई के एक बड़े कार्यक्रम को मंजूरी दी है और इस विषय पर उन्होंने राज्यों के मुख्य मंत्रियों को भी लिखा है।

मंत्री महोदय ने कहा
ग्रामीण आबादी को स्वच्
वजह से उनके स्वास्थ्य क
लिए यह एक विशेष सम

श्री बूटा सिंह ने कहा
निर्देश दिये हैं और स्वच्
ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम
कार्यक्रम के कोष के उप
स्तरीय संस्थाओं में आध

श्री बूटा सिंह ने दूरद
आपूर्ति के सरकारी प्रय
उपलब्ध पेशेवर एवं तक
अपील की। □

हरिराम अब गंवार नहीं र

यदि घर में अंधेरा हो तो दीया जलाना पड़ता है और दीये का उजाला होते ही सब कुछ साफ-साफ दीखने लगता है। इसी प्रकार शिक्षा और ज्ञान का उजाला यदि मन में हो तो जन जीवन की बातें खुली किताब की तरह समझ में आने लगती हैं।

ऐसी ही ज्ञान ज्योति का प्रकाश चालीस वर्षीय हरिराम मीणा के मन में फैला है जिससे अब उसे अपनी समस्याओं के रास्ते सूझने लगे हैं और इससे उसके जीवन स्तर में भी उत्तरोत्तर सुधार आने लगा है।

सवाई माधोपुर से करीब 16 कि.मी. की दूरी पर बसे अनुसूचित जनजाति बाहुल्य गांव अजनोटी के हरिराम मीणा ने दिन भर अपने खेत में मेहनत मजदूरी करते हुए रात्री को अपने ही गांव में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र के माध्यम से इतना पढ़ना-लिखना सीख लिया है कि वह जन-जीवन की ढेर सारी कठिनाईयों का समाधान सहज में ही कर सकता है।

हरिराम ने बताया कि "साहब। अब म्हें गांव रा गंवार कोनी रहेया, नाहीं म्हाने अब कोई ठग सके है।" उसने बताया कि "पढ़ना-लिखना से नरो फर्क हो जावे। इससे विकास रो पूरो पूरो

लाभ मिलवा लागे है औ

हरिराम से जब केन्द्र
उसने बताया कि इस के
उन्हें पढ़ने-लिखने के फा
दी। उसने बताया कि अ
गया हूं कि साक्षर होना

प्रौढ़ शिक्षा के परियो
बताया कि लगभग 200
महिलाओं के लिए अलग
क्रमशः 30-35 पुरुष ए
आती हैं।

उन्होंने बताया कि
रुचि पैदा होने लगी है।
कृषक ने अपने पक्के मक
मुफ्त उपलब्ध करा र

के इस समय एक प्रतिशत से भी कम शौचालयों की सुविधा प्राप्त है जिसकी एक बड़ा खतरा हुआ है। महिलाओं के स्या होती है।

क इस संबंध में केन्द्र ने राज्यों को विस्तृत शौचालयों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय एवं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योग की भी अनुमति दी है। सभी ग्राम निक शौचालय बनाए जाएंगे।

राज के क्षेत्रों में भी कम लागत पर जल सों के पूरक के रूप में निजी क्षेत्र में कनीकी विशेषता का उपयोग करने की

हा

र बातचीत को सलीको आवे है।"

आने की प्रेरणा के बारे में पूछा गया तब द्र के अनुदेशक श्री बच्छराज मीणा ने दे बताते हुये इस केन्द्र में आने की प्रेरणा मैं भी इस बात को भली भांति समझ कतना लाभप्रद है।

ना अधिकारी श्री नन्द किशोर गुप्ता ने रों की आबादी के इस गांव में पुरुषों एवं लग दो केन्द्र चलाए जा रहें हैं, जिसमें 20-25 महिलाएं शिक्षा ग्रहण करने

वालों में शिक्षा ग्रहण करने के प्रति में केन्द्र चलाने के लिए गांव के ही एक में एक कमरा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र के लिए । □

क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी,
सवाई माधोपुर (राज०)

हीं करनी पड़ेगी। जीवी ने सोचा हुआ था भर्ती करा देगी। कितना रोब होता है उनसे डरता है। उसका बेटा पुलिस में कसी से डरना नहीं पड़ेगा, किसानों की

एक छोटी सी भैंस मोल ले ली थी। उसे ाला। उसके लिए वह खेतों में से घास ब भैंस जनी तो जीवी के घर में दूध-दही सके लिए बेटे का और अपना पेट भरना ुज़ारा होने लगा। उसी भैंस की बदौलत ा, तगड़ा जवान बना। अन्त में, जीवी के जब वह फौज में भर्ती हो गया। जीवी ने तो फूली न समाई। फौजी वर्दी में वह ा। और जीवी कहती फिरती कि उसका और जल्दी ही 'हौलदार' बन जायेगा।

मका। बेटे ने रुपयों से उसकी झौली भर मनीआर्डर आता और जीवी फूली न इतने रुपये पाकर वह कहीं एक दिन हीने इतने रुपये आते थे कि गांव वालों को वी गांव में सिर ऊंचा करके चलती।

का घर पक्का बन गया। फिर उसने एक क और खेत मौल लिया। उसे आशा थी सकी इतनी ज़मीन हो जायेगी कि उसका कर खेती करने लगेगा।

खबर मिली की उसका बेटा मोर्चे पर भेज दिल धक्-धक् करने लगा। वह यद्यपि र्ती होकर सिपाहियों को लड़ना पड़ता है, थी कि कभी लड़ाई लगेगी। उसके बेटे ने ई नहीं लगेगी। हां, पाकिस्तान का खतरा होगी। बहुत ऐश की ज़िन्दगी है फौज़ में। ुफ्त का पहनना, और हर महीने तन्ख्वाह र किसे पता था कि पाकिस्तान अचानक उसे मोर्चे पर जाना पड़ेगा।

से अभी महीना भी नहीं हुआ था कि वह हादुरी से लड़ा था। तीन गोलियां उसकी

पाकर जीवी ने बेतहाशा अपनी छाती पीटी दीं कि उसी ने अपने बेटे को इस आग की जान की दुश्मन बनी थी, उसी को चाव हो। वही चाहती थी कि वह 'लफ्टेन' बने मां' कहलाये। आखिर क्या लेना था यह कच्चे घर में भी तो गुजारा हो ही रहा था।

पूर्व भुगतान के बिना एन.डी.पी.एस.ओ., नई दिल्ली में डाक में डालने की अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन)-55

Licenced under U (DN)-55 to post without pre-payment at NDPSO, New Delhi

बिरसा विकास खण्ड में बैगा बसाहट

बालाघाट जिले के उत्तर-पूर्वी हिस्से में फैला बिरसा विकास खण्ड वहां के निवासियों की विविधतता के कारण अलग पहिचान रखता है। बालाघाट जिला आदिवासी बाहुल्य है। आदिवासियों में से लगभग 87% गोंड, 10% बैगा व शेष अन्य जाति के हैं। चूंकि बिरसा विकास खण्ड छत्तीसगढ़ के एक जिला राजनादगांव की सीमा से लगा हुआ है इसलिए यहां के अधिसंख्यक लोग छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। परन्तु आदिवासी चाहे वे गोंड हों अथवा बैगा, गोंडी उनके बीच प्रमुख प्रचलित बोली है। छत्तीसगढ़ के जिलों में यह बात नहीं पायी जाती। वहां के आदिवासी छत्तीसगढ़ी रीतिरीवाजों में इतने घुल-मिल गए हैं कि उन्हें अपनी स्वयं की गोंडी बोली का ज्ञान तक नहीं है।

संपूर्ण बैहर तहसील को जिसमें बिरसा विकास खण्ड भी आता है, आदिवासी क्षेत्र मानकर उनके उत्थान के लिए सन 1975 में आदिवासी विकास परियोजना बैहर, की स्थापना की गई है। बालाघाट जिले में निवास करने वाले आदिवासियों में बैगा लोगों को विशेष पिछड़ी जनजाति माना गया है। बैगा जनजाति अपने स्वभाव के अनुरुप घने जंगलों के बीच बसे हुए हैं। बिरसा विकास खण्ड का दक्षिणी पार्श्व वनों से आच्छादित है। इन्हीं के बीच विशेषकर मछुरदा, कोरका, बोंदारी और गठियाटोला में बैगा जनजाति के लोग बसे हुए हैं। इनमें से गठियाटोला विशुद्ध रुप से बैगा ग्राम हैं। यहां 60 बैगा परिवार परंपरा से निवास करते चले आ रहे है। परन्तु यह न तो राजस्व ग्राम है और न ही वन ग्राम।

बैगा जन जाति के लोग व्यवस्थित खेती नहीं करते। जंगलों को काटकर जला देना और वहां कोदो, कुटकी तथा मड़िया की फसल लेना ही उनकी खेती है। हर दूसरे साल वे खेती का स्थान बदल देते हैं। इसे बेबर खेती कहते हैं। इससे हरा भरा जंगल का विनाश हो रहा था। मध्य प्रदेश के वन विभाग ने पिछले दो साल से इस ग्राम को व्यवस्थित करने का काम अपने हाथ में लिया है। वन विभाग इसे आदर्श वन ग्राम के रूप में विकसित करना चाहता है। इसके तहत उत्तर वन मंडल बालाघाट द्वारा सर्वप्रथम सन् 1985 में 5 कि.मी. लंबी सड़क का निर्माण कर इस ग्राम तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्थ किया गया। इसी वर्ष 60 में से 25 परिवार को बाड़ी सहित मकान उपलब्ध कराया गया। शेष 35 परिवार को इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक मकान उपलब्ध करा दिये जायेंगे। उपलब्ध मैदानी जमीन को खेत का स्वरूप दिया जा रहा है। खेत तैयार हो जाने पर प्रत्येक परिवार में समान रूप से बांट दिया जायेगा। यह काम बरसात से पूर्व पूर्ण कर लिया जायेगा। इस बीच प्रत्येक परिवार को एक हल और एक-एक भैंसा जोडी कृषि कार्य के लिये दिया जा रहा है। 17/2/86 को 45 परिवारों को भैंसा जोडी प्रदान कर दी गई है। पेय जल के लिए एक कुआं तथा एक हैण्डपंप की व्यवस्था कर दी गई है। बचत सुविधाओं की पूर्ति के साथ-साथ उत्तरवन मंडल, बालाघाट गठियाटोला को वन ग्राम घोषित कराने के प्रयास में लगा हुआ है। बैगा आदिवासी चूंकि अभी तक अपनी परंपरागत बेबर खेती ही करता रहा है, अतः उन्हें व्यवस्थित खेती की ओर मोड़ने के लिये खेत बनाकर देना, हल—जानवर देना ही पर्याप्त नहीं होगा बल्कि कम से कम दो साल तक धान जैसी फसलों की खेती के लिए कृषि विभाग से डिमान्शट्रेशन हेतु सहयोग वन विभाग को लेना चाहिए तभी जाकर वन विभाग अपनी योजना में सफल हो सकेगा और बैगा जनजाति की बसाहट योजना भी सार्थक हो सकेगी। □

(क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी
बालाघाट (म.प्र.)
के सौजन्य से)

नव-सृजन का गीत

आज समता-एकता के गीत तीनों सप्तकों ने
साथ गाकर फिर उचारे कुछ सृजन के स्वर।

छँट गयीं विष की घटायें अब गगन से,
अमन का संगीत गूँजा है चमन में,
आस्था ने रोशनी की थाम बाहें,
भर दिया विश्वास-धन हर एक मन में।

तौल कर नव-कल्पना के पंख शाँति-कपोत
उड़ता जा रहा है स्नेह का संदेश ले घर-घर।

वसुंधरा की कोख में बोया पसीना
अब समय के स्वप्न को आकार देगा।
भाग कर आलस्य का कलुषित अंधेरा
श्रम के सूरज को नया विस्तार देगा।

अब लिखेंगे आदमी के हाथ अभिनव छंद
खेतों-कारखानों में पहुँचकर श्रम के कागज पर।

अब सुहागिन बस्तियाँ विधवा न होंगी।
अब न झुलसेगी चुनरिया चाँदनी की।
झोंपड़ी की आँख में काजल अँजेगा।
चूड़ियाँ चटखेंगी न अब से किसी की।

अब मनुजता का नया इतिहास लिखेंगे दुबारा
कोष से लेकर सिर्फ दो नेह के आखर।

अखिलेश्वर
30, मंडी ब्लॉक
श्री करनपुर-225073
(राजस्थान)

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित और एलाइड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड ए-104 मायापुरी, नई दिल्ली-110064 द्वारा मुद्रित।

विशेष किस्म के प्रशासनिक ढांचे के निर्माण की बात कही गई है। अब तक का अनुभव यह रहा है कि आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासनिक तंत्र आदिवासियों के प्रति उदासीन रहा है। दोनों एक दूसरे से अपरिचित रहे हैं। अब सरकार चाहती है कि वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में सरकारी मशीनरी को अधिक संवेदनशील बनाया जाए। ऐसे अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किए जाएं जो आदिवासियों पर शासन न करें, बल्कि उनके प्रति मानवीय रुख और संवेदना अपनाएं। सरकार यह भी चाहती है कि गैर-सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं को भी विकास कार्य में सक्रिय भागीदार बनाया जाए। सरकार की नीति है कि आदिवासियों के विकास के साथ-साथ उन्हें वांछित संरक्षण भी प्रदान किया जाए। इसलिए विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से उन्हें शोषण से बचाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। आमतौर पर आदिवासी अर्थव्यवस्था गैर-आदिवासी व्यापारी के हाथों में रही है। नतीजा यह रहा कि आदिवासी हमेशा कर्ज के शिकार रहे।

ऋण और बंधक प्रथा से आदिवासियों को मुक्ति दिलाने के लिए उनके क्षेत्र में सहकारी समितियां शुरु की गई हैं। खास तौर पर ये समितियां जनजातीय उत्पादों की बिक्री और उपभोक्ता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति और ऋण उपलब्ध कराने में विशेष भूमिका निभाती हैं। इन बहुद्देशीय समितियों के माध्यम से आदिवासियों को रियायती दरों पर अनाज भी उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार ने आदिवासी इलाकों में गेहूं और चावल के वितरण की जो योजना चलायी है उससे पांच करोड़ लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। सरकार ने यह भी तय किया है कि आदिवासी क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार भारतीय खाद्य निगम भी कुछ केन्द्र भी स्थापित करेगा और राज्य सरकारों के सहयोग से अनाज उपलब्ध करायेगा। आदिवासी क्षेत्रों में चलते-फिरते अनाज वितरण केन्द्रों की भी व्यवस्था की जाएगी।

अनाज के अलावा दूसरी आवश्यक वस्तुएं भी वितरित की जाएंगी ताकि आदिवासियों को बाहरी व्यापारियों पर निर्भर न रहना पड़े। अक्सर होता यह है कि आदिवासी को एक किलो नमक के बदले दस-दस किलो धान व्यापारी को देना पड़ता है।

सरकार जानती है कि वह अपने बलबूते पर आदिवासियों को शोषण से नहीं बचा सकती। इसके लिए व्यापक जन-चेतना की आवश्यकता है। आदिवासी समाज को शोषण से बचाने के लिए यह जरुरी है कि आदिवासी क्षेत्रों में जन-आन्दोलन चलाया जाए जिससे आदिवासी उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो सके। देश अब 21वीं शताब्दी की ओर बढ़ रहा है। इसलिए यह और भी आवश्यक है कि ऐसी नीति अपनाई जाए जिससे आदिवासी समाज सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों को सफलता के साथ अपनाते हुए भी अपनी अस्मिता बनाए रख सकें। □

(आकाशवाणी से साभार)

सम्पादक के नाम

आपके यहां से प्रकाशित कुरुक्षेत्र (हिन्दी) सितम्बर 1985 अंक पढ़ा। यह अंक बहुत ही रोचक एवं महत्वपूर्ण है। इसके सभी लेख शिक्षात्मक एवं ऐतिहासिक है। किन्तु इस अंक के तीन लेखों में गांवों की संख्या और देश की कुल आबादी में ग्रामीण जनसंख्या संबंधी आंकड़े कुछ अलग-अलग पाए गए हैं। कृपया सही आंकड़े प्रकाशित करने का कष्ट करें।

एस.आर. कमल,
प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी,
प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र,
मैनपुरी (उ.प्र.)

भारत में गांवों की अधिकृत संख्या और कुल आबादी में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत

सन् 1981 की जनगणना के अनुसार देश में पूर्णरूप से बसे गांव 5,57,139 थे तथा अर्द्ध बसे गांव 48,985 थे और कुल आबादी में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 76.69 था।

सम्पादक

प्रिय महोदय,

कुरुक्षेत्र का नवम्बर 1985 अंक देखा। पढ़कर बहुत जानकारी मिली। निश्चित रूप से कुरुक्षेत्र के स्तर में उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है। विशेषकर इस अंक में प्रकाशित श्री धर्मेन्द्र सिंह की कविता "जब तुम जागो तभी सवेरा" तथा श्री आर.एस., विरमानी का लेख "साक्षरता व नियोजित परिवार" इत्यादि बहुत अच्छे लगे।

किन्तु अभी भी इस पत्रिका में बहुत सुधार की अपेक्षा है। यदि आपका दावा है कि कुरुक्षेत्र "ग्रामीण विकास का प्रमुख मासिक" है तो कृपया इसे सरकारी कार्यों की न्यूजरील न बनायें। ग्रामीण विकास को प्रतिबिम्बित ही नहीं करें वरन् उसे उचित मार्गदर्शन भी दें।

शैलेन्द्र कुमार मिश्र,
355, मम्फोर्ड गंज,
इलाहाबाद (उ.प्र.)

आदिवासी विकास

रामशरण जोशी

विभिन्न जनजाति क्षेत्रों में हाल में प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद आदिवासी-विकास नीति को लेकर नये सिरे से बहस आरंभ हो गई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा और पूर्वी राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों की प्रधानमंत्री की यात्रा से सवाल पैदा हुआ है कि क्या इन वन-वासियों का विकास वास्तविकता से हुआ है। प्रधानमंत्री की यात्राओं ने आदिवासियों के विकास और प्रगति के संबंध में फैली धारणाओं को स्पष्ट किया है। उन्होंने अपनी यात्राओं में स्वयं अनुभव किया है कि छह पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत जो निर्धारित लाभ जनजाति समाज को मिलने चाहिए थे, उनसे वह काफी हद तक वंचित रहा है। विकास-योजनाए आदिवासी समाज में सुधार लाने में आंशिक रूप से ही सफल हो पायी है। इस कारण आदिवासी क्षेत्रों में गैर-आदिवासी तत्वों द्वारा शोषण जारी है। अध्ययनों से पता चलता है कि विकास-योजनाओं से फायदा गैर-आदिवासियों ने अधिक उठाया है और आदिवासियों ने कम। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग और अनुसूचित जनजाति संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्टों में कहा है कि आदिवासी क्षेत्रों में जमीन की हेराफेरी जारी है। आदिवासियों को उनकी कृषि और वन-उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता। बाहरी व्यापारी मनमाने दामों पर आदिवासियों से वस्तुएं खरीदते हैं और ऊंचे दामों पर शहरी वस्तुओं को बेचते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में अंधाधुंध वन कटाई से पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो रहा है। आदिवासियों के जीवन पर इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक सभ्यता पहुंचने से अनेक समस्याएं पैदा हुई हैं। इन क्षेत्रों में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक तनाव उभरने लगा है। इसका कारण आदिवासी क्षेत्रों में पलायन की समस्या बढ़ती जा रही है। बिहार के छोटानागपुर, मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कोरापुट-कालाहांडी, राजस्थान के उदयपुर और डूंगपुर क्षेत्रों में आदिवासियों में और पलायन की प्रक्रिया व्यापक स्तर पर देखने में आ रही है। पिछले वर्ष संसद में बताया गया था कि आदिवासियों पर अत्याचार की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। आजादी के बाद से सरकार ने आदिवासियों के विकास और संरक्षण की दिशा में कई कदम उठाये हैं। संविधान में भी इसकी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। आदिवासियों के विकास के लिए अलग से एक "आदिवासी उप-योजना" बनाई गई है। यह एक व्यापक योजना है जो कि आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए बनी है। पांचवी योजना के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में विकास योजनाओं पर 11 अरब 62 करोड़ रुपये खर्च किये गये जबकि हाल में समाप्त हुई छठी योजना के दौरान यह राशि करीब 50 अरब रुपए तक पहुंच गई। केन्द्र और राज्य दोनों ने मिलकर आदिवासी विकास कार्य में अपना-अपना अंशदान दिया है। केन्द्रीय सरकार चालू सातवीं योजना के दौरान भी करीब सात अरब 50 करोड़ रुपये की विशेष सहायता आदिवासी विकास योजनाओं के लिए देगी। छठी योजना के दौरान केन्द्र की सहायत चार अरब 70 करोड़ रुपयें की थी।

सातवीं योजना के मसौदे में कहा गया है कि आधुनिक विकास की गति को आदिवासियों की पारम्परिक मूल्य व्यवस्था पर हावी न होने दिया जायेगा। विकास की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिससे टकराव की संभावन कम से कम रहे। इस बात का भी ध्यान रखने को कहा गया है कि आदिवासी प्रथाओं को संरक्षण मिले। आदिवासियों के भूमि संबंधी पारम्परिक कानूनों की उपेक्षा न की जाए। सातवीं योजना के दौरान आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए

पढ़ें, सदस्य बनें और योगदान दें

"एग्रीकल्चरल मार्केटिंग"

यह दोनों भाषाओं (हिन्दी व अंग्रेजी) की तिमाही पत्रिका है। यह पत्रिका मंडी विकास और विनिमयन कृषि तथा कृषि जिन्सों, मांस, खाद्य जिन्सों, भण्डारण, शीतागार के क्षेत्रों को समर्पित हैं। इस तरह यह पत्रिका किसानों, उपभोक्ताओं, उपभोक्ता संगठनों, कृषि मंडी परिषदों, नियमित मंडी समितियों, कोमोडिटी परिषदों, राज्य कृषि विभागों, सहकारी विपणन संगठनों, कृषि विश्वविद्यालयों आदि के हितों की रक्षा कर रही है। इस पत्रिका के लिए चन्दा कृपया इस पते पर भेजें:-

नियन्त्रक, प्रकाशन,
सिविल लाइन्स,
दिल्ली-110054

वार्षिक चन्दा 20/- रु०
एक प्रति 5/- रु०

चन्दा किसी भी बैंक के चैक/ड्राफ्ट के रूप में भेजा जा सकता है। बाहर के शुल्क-दाताओं को जो चैक भेजेंगे बैंक कमीशन के 3/- रु० अतिरिक्त भेजने होंगे।

लेखकों को आमन्त्रण

प्रगतिशील किसानों, उपभोक्ताओं तथा उपभोक्ता संगठनों, राज्य कृषि मंडी परिषदों, नियमित मंडी समितियों, कोमोडिटि बोर्डों, राज्य विपणन विभागों, सहकारी विपणन संगठनों, कृषि विश्वविद्यालयों से पत्रिका में प्रकाशन के लिए सामयिक महत्व के लेख, उत्कृष्ट कहानियां इत्यादि आमंत्रित किए जाते हैं।

विशेष

निदेशालय इस वर्ष अपनी स्वर्ण जयन्ती मना रहा है और इस उपलक्ष में प्रकाशन सामग्री की कई पुस्तिकाएं जारी की गई हैं, जिन्हें विशेष अनुरोध पर निःशुल्क भेजा जा सकता है।

विज्ञापन :
आप पत्रिका के माध्यम से अपना विज्ञापन छपवा सकते हैं। विज्ञापन की दरें इस प्रकार हैं:-

अवधि	संपूर्ण पृष्ठ	आधा पृष्ठ	चौथाई पृष्ठ
4 अंक	600/-रु.	350/-रु.	175/-रु.
1 अंक	200/-रु.	150/-रु.	75/-रु.

विशेष तथ्य

मुख पृष्ठ के अन्दर 20 प्रतिशत अतिरिक्त
मुख पृष्ठ के बाहर 40 प्रतिशत अतिरिक्त
[केवल सम्पूर्ण पृष्ठ के विज्ञापन ही स्वीकार किए जाते हैं]

विज्ञापन का मसौदा और ब्लाक विज्ञापन-दाता द्वारा दिए जाएंगे। यदि विज्ञापन-दाता अपने विज्ञापन की रंगीन छपवाई करवाना चाहते हों तो प्रति रंग 15 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।

विज्ञापन ब्लाक आदि सामान सहित नियन्त्रक, प्रकाशन, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054 को भेजे जाएं।

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया लिखें:-
कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार,
कृषि मंत्रालय,
ग्रामीण विकास विभाग,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
प्रधान कार्यालय, सी.जी.ओ. भवन, फरीदाबाद-121001
(हरियाणा)

देश का नाम रोशन करेंगे, यह कौन नहीं चाहेगा। मैं सरकार की तरफ से तत्काल आपको नौकरी तो नहीं दे सकता, लेकिन लीड बैंक के माध्यम से सस्ते दरों पर हजारों रुपए के ऋण तो अवश्य दिला सकता हूं।

वीरन : सर! बैंक जो कर्ज देगी, उसको अदायगी किस तरह होगी।

शर्मा : कर्ज की अदायगी आसान किस्तों में होगी। सरकार अनुदान भी देगी जो छोटे किसानों के लिए 25% अन्य को 331/3% और जन जातियों के लिए 50% होगा जिसकी अधिकतम सीमा जन जातियों के लिए 5000 और अन्य के लिए 3000 रु० होगी।

बादल : सर, शुद्ध मधु और कृत्रिम मधु में क्या अन्तर है?

शर्मा : यहां दो शीशियां हैं। एक में शुद्ध। दूसरे में कृत्रिम। प्रथम शीशी में जो मधु है, वह पारदर्शक है। दूसरी शीशी में ऐसा नहीं है। एक तरफ मधु जल्दी घुलनशील नहीं होता जबकि चीनी जल्दी घुल जाती है। मधु एक ऐसी चीज है जिसे कोई वैज्ञानिक भी नहीं बना पाते। कोई रासायनिक क्रिया भी नहीं।

वीरन : और बादल के पिताजी का क्या हुआ सर?

शर्मा : एकदम तन्दुरुस्त हो गए। टी.बी. रोग था ही नहीं। मैंने एक्सरे देखा। छाती में कोई बीमारी नहीं थी। केवल कफ जमा था। मधु कफ पित्त तथा वायु त्रिदोषनाशक है। यह मधु तथा च्यवनप्राश का ही कमाल था कि बादल के पिता स्वस्थ हो गए।

वीरन : आजकल गांजे की चिलम चढ़ाते हैं या नहीं?

शर्मा : हा, हा, हा। यह तो भाई बादल जाने। लेकिन जहां तक जानकारी है, अब गांजा नहीं पीते वे। क्यों बादल?

बादल : जी सर! गांजा, बीड़ी, शराब तो उन्होंने कब की छोड़ दी!

(तभी पनसोखा का प्रवेश। मुंह हाथ फूला हुआ है। मधुमक्खी ने काट खाया है)

पनसोखा : उन्होंने तो छोड़ दी। मैंने भी चोरी करनी छोड़ दी! मुझे माफ कर दीजिए, शर्मा जी!

बादल : यह सब कैसे हुआ?

पनसोखा : अरे क्या बताऊं? आप लोगों के जाने के बाद मैंने सोचा, आप वाला ट्रेनिंग का मधु बक्स चुरा लूं! चाकू से मैंने छत्ते को काट लिया। मधुमक्खियां मेरे ऊपर टूट पड़ीं। कभी मधुमक्खी आगे, कभी मैं आगे। कभी—मधुमक्खियां पीछे, कभी मैं पीछे। मैंने चप्पल खोल लिए। मधुमक्खियों ने भी खोल लिए। मैं नाक की सीध में दौड़ा। मधुमक्खियां भी दौड़ीं। मैं एक गड्ढे में गिर पड़ा। मधुमक्खियां भी गिर पड़ीं। उसके बाद मैं पेड़ पर चढ़ गया। मधुमक्खियां भी चढ़ गयीं और अन्त में वहीं पकड़ लिया मुझे!

बादल : उसके बाद क्या हुआ?

पनसोखा : होता क्या? मेरा मुंह फुला दिया!

बादल : चोरी की यही सजा होती है। निकालो मेरे छत्तीस रुपये वरना मैं तेरा और मुंह फुला दूंगा! ले जाओ अपना मिलावटी मधु!

पनसोखा : यह लो बाबा! अब तुम क्या फुलाओगे! यहां तो पहले से फूला हुआ है!

शर्मा : सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते! मेहनत की रोटी खाओ तो और अधिक मीठी लगेगी। अगला प्रशिक्षण जब शुरु होगा, तुम्हें जरुर बुलाऊंगा पनसोखा! चलो, अब हम चलें। सरकार कल प्रति प्रशिक्षु डेढ़ सौ रुपए की वृत्तिका देगी। हजार रुपए का उपस्कर लगभग फ्री! चलो!

सभी : प्रणाम सर!

शर्मा : प्रणाम!

पनसोखा : मैं कान पकड़ कर उठता बैठता हूं। □

पो० टीकापट्टी
पूर्णिया (बिहार)

वीरन : कल से मधुमक्खी पालन उद्योग प्रशिक्षण है। फिर तेलघानी, चर्म उद्योग, साबुन बनाना, अगरबत्ती बनाना, अम्बर चर्खा, सिलाई, कढ़ाई, पापड़ बनाना, दियासलाई उद्योग तथा दस्तकारी एवं अन्य अनेकों योजनाएं हैं जो गांव में चलायी जायेंगी। सरकार ग्राम स्वराज्य के माध्यम से समाजवाद ला रही है। आओगे न?

बादल : समाजवाद? अपने गांव में?

वीरन : हां बादल! समाजवाद लाने के लिए पहले गांवों को अपनी कमर कसनी होगी। गांव के बाद जिला, फिर प्रदेश और फिर पूरा राष्ट्र! हा, हा, हा, वह दिन कितना खुशनुमा होगा...

बादल : गांव, जिला, प्रदेश और फिर राष्ट्र! हां, वीरन, हां! पीट दो पूरे मुल्क में मुनाफी! गरीबों की गरीबी मिटेगी! पूरब में एक नयी उषा चमकेगी...हमारा मुल्क खुशहाल होगा...

वीरन : **(उल्लसित होकर)** सुनो भाइयो सुनो...सुनो बहनो सुनो **(ढोल पीटते हुए प्रस्थान)**

बादल : गांव में समाजवाद आ रहा है। हमारी गरीबी दूर होगी। जरुर दूर होगी...**(मुट्ठियां आवेश में तन जातीं)**

• • • (पटाक्षेप) • • •

• • • • •

चतुर्थ दृश्य

[प्रशिक्षण केन्द्र। मधु के दसियों बक्से रखे हुए हैं। शर्माजी, अनुदेशक एक-एक बक्से को खोलकर कार्य प्रणाली प्रशिक्षुओं को बतला रहे हैं]

शर्मा : आज के पाठ में आपको मधुमक्खी के बारे में पूरी तरह समझाया। बरखा रानी, आप बतायें, मधुमक्खी का संक्षिप्त इतिहास।

बरखा : **(खड़ी होकर)** जी, प्रत्येक मधु परिवार में मधुमक्खी तीन तरह की होती हैं। एक रानी मधुमक्खी, दूसरी नर मधुमक्खी और तीसरी कर्मठ मधुमक्खी यानी लेबर मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी प्रतिदिन मधुस्राव के समय 300 से 500 अंडे देती है। नर मधुमक्खी छत्ते में मालिक की तरह आराम तलब होती है, लेकिन कर्मठ मधुमक्खी ही मधुसंचयन करती है। सरसों के फूलों से, लीची के फूलों से, सहजन के फूलों से...तथा अन्य फूलों से पराग-रस लेकर छत्ते में जमा करती हैं...

शर्मा : ठीक है, ठीक है, बैठिए आप। आज का पाठ इतना ही। तब तक आधा घंटा टिफिन दी जाती है! चलिए सभी।

(प्रस्थान)

[दूसरी तरफ से पनसोखा का प्रवेश]

पनसोखा : अरे वाह! आज तो मैं मुकद्दर का चुकन्दर हो गया। चुकन्दर नहीं, सिकन्दर। मधु का इतना बक्सा? काटता हूं आज! हें, हें, हें। **(बाल्टी रखता है। झोला खोलता है। चाकू निकालता है)** आज तो फोकट में दस लीटर मधु मिल जाएगा! मार ली बाजी!

(तभी टिफिन खाकर शर्मा जी का प्रवेश)

शर्मा : ऐ कौन है? क्या कर रहा है? मधु काटेगा क्या?

पनसोखा : विचार तो मधु काटने का ही है। आप कौन हैं?

शर्मा : मैं शर्मा हूं। अनुदेशक।

पनसोखा : देखिए, आप शरमाना जी हैं कि लजाना जी, मुझे इससे मतलब नहीं है।...मधु खाईयेगा?

(पिछे से मधुमक्खी नकाब धारी बादल पनसोखा के कन्धे पर हाथ रखता है। पनसोखा हाथ झटक देता है) ऐ कौन है? मच्छर है क्या? या कोई भूत है?

बादल : हां भूत!

पनसोखा : **(मुड़कर पीछे देखता है और नकाबपोश को देख कर शर्मा जी के कन्धे पर चढ़ जाता है)**
बचाओ, बचाओ, भूत...भूत...भूत। अरे बचाओ। बचाओ। मधुमक्खी। नहीं, नहीं भूत। नहीं, नहीं मधुमक्खी। नहीं, नहीं भूत...

• पटाक्षेप •

पंचम दृश्य

•

[स्थान—प्रशिक्षण केन्द्र]

शर्मा : मुझे बहुत खुशी है कि आज आपके प्रशिक्षण की अवधि पूरी हो गयी। इस गांव की पढ़ी लिखी तथा अनपढ़ बहू बेटियां परदे से बाहर आयीं, युगधर्म को पहचाना, यह साधुवाद का विषय है। इस गांव के बेरोजगार युवक लघु-उद्योग में लगकर गांव तथा

बादल : मधु इस पार का बोलता है या उस पार का?

पनसोखा : इस पार और उस पार में क्या रखा है जी? 'बच्चन' को जानता है?

बादल : कौन बच्चन?

पनसोखा : अमिताभ बच्चन नाहीं। हरिवंश राय बच्चन। उनका पिताजी। वह बोला—'इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा!'

बादल : क्या होगा?

पनसोखा : होगा तो कुछ नहीं। मैं ठहरा उस पार का आदमी। इस पार का मधु...उस पार का मैं...हें हें हें। इस पार...उस पार...उस पार...इस पार...क्या समझा? लेंगा मधु? एक रुपया कम कर देगा।

बादल : और कहीं मधु में चीनी मिली हो, तब?

पनसोखा : चीनी? हें, हें, हें...चीनी? बिना राशन कार्ड के चीनी? एक बात जानता? मेरी भतीजी की शादी। चीनी मांगी पन्द्रह किलोग्राम। सी.ओ. साहब ने चीनी कितनी दी, कुछ मालूम? कैसे मालूम होंगा...हें हें हें...लेंगा मधु? मेरे को 'टैम' नहीं...जल्दी बोलो।

बादल : देखो पनसोखा। अपन भी करता नहीं धोखा। मधु में मिलावट होगी तो तुमको छोड़ूंगा नहीं। जानता नहीं, सरकार मिलावट करने वाले को जेल में बन्द कर देती है।

पनसोखा : यार, काहे को बोहनी का टैम खराब करता? तुम क्या समझता, अपन लोभी नाही। अपन गंगापार का आदमी। उस पार का...उस पार का...इस पार का तुम, उस पार का मैं। लेंगा तो लो, बारह रुपए लीटर कर दूंगा! बोलो, कितना दूं?

बादल : पूरी बाल्टी दे दो!

पनसोखा : हें, हें, हें...तुम बहुत दिलचस्प आदमी भैया। यह लो पूरी बाल्टी। पूरे तीन लीटर मधु है। छत्तीस रुपये निकालो। अपने को उस पार जाना है...

बादल : यह लो! **(रुपये देता है)**

पनसोखा : **(रुपया पॉकेट में रखता है। फिर जाना चाहता है, तभी बाल्टी का खयाल आता है)** ब.ब.ब. बाल्टी तो भूल ही गया। ए भैया...अपन की बाल्टी वापस कर दो।

बादल : **(बाल्टी को मधु निकालकर)** यह लो!

पनसोखा : हें, हें, हें। अपन की बाल्टी भी प्योर। मधु भी प्योर। अपन का खोखा भी प्योर। खोखा नहीं समझे? अपन का बेटा भी प्योर! हें, हें, हें,... हें, हें, हें।

पटाक्षेप

*

* तृतीय—दृश्य *

[स्थान—आम रास्ता]

वीरन : **(ढोल पीटकर मुनादी करता है)** सुन लो भाईयो...सुन लो बहनो...कल स्वराज्य आश्रम में...... आ रहे हैं... **(ढोल पीटता है)**

बादल : अरे कौन आ रहे हैं? खुलासा बोलो...खुलासा हाथी, घोड़ा, बन्दर, भालू, सरकस, थियेटर या कि वीडियो वाले आ रहे हैं?

वीरन : वही तो कह रहा हूं मैं! कल स्वराज्य आश्रम में सरकारी ऑफीसर आ रहे हैं। सुन लो भाईयों सुन लो **(ढोल पीटता है)** बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जिसको लघु उद्योग की ट्रेनिंग लेनी हो...स्वराज्य आश्रम में दस बजे हाजिर हो...**(जमकर ढोल पीटता है)**

बादल : तू भी ट्रेनिंग लेगा कि खाली ढोल ही पीटेगा?

वीरन : इसीलिए तो जमकर पीट रहा हूं। अंगीभूत विशेष योजना में हरिजनों, आदिवासियों, पिछड़ों तथा औरतों के लिए बहुत सुविधाएं हैं। तू भी क्यों नहीं ले लेता?

[तभी झुनिया का प्रवेश]

झुनिया : अरे बादल, तू यहां है? वह पनसोखा राम तो मुंह में चूना पोत गया।

बादल : क्यों, क्या हुआ मां?

वीरन : अरे होगा क्या? वह मुझसे पूछ। तूने उसके यहां मधु खरीदा था? क्यों, खरीदा था न?

बादल : हां खरीदा था!

वीरन : तो बता दो चाची, वह मधु नहीं था। चीनी की चासनी थी।

बादल : **(साश्चर्य)** क्या?

वीरन : अरे तू बी.ए. पास कर लिया तो क्या शुद्ध मधु की पहचान भी नहीं रखता? देख, तू कल जरुर आना। और हां, बरखा भाभी को भी लाना न भूलना।

बादल : और क्या होगा?

बादल : **(दौड़ कर आता है)** क्या बात है मां? बप्पा को क्या हुआ?

बरखा : क्या हुआ मां? **(पायताने में पैर सहलाती है)**

झुनिया : देख बेटा! जल्दी से डागडर बाबू को बुला ला। बप्पा की हालत बहुत गम्भीर है। मुंह से खून निकल आया!

बादल : क्या कहा? खून! तू घबड़ाना मत मां! मैं तुरन्त डॉक्टर साहब को बुला लाता हूं। **(प्रस्थान)**

झुनिया : या कुल देवता! या मां काली! दुहाई गंगा माय...

दुर्गानन्द : **(कराहता है)** आह! आह!! पानी...

झुनिया : **(उठकर पानी पिलाती है)** कुछ सोचो मत। सब ठीक हो जायेगा। चुपचाप लेट जाओ। **(लिटा देती है)**

दुर्गानन्द : **(खांसता है)** आह...आह...
[डॉक्टर का प्रवेश, साथ में बादल]

डॉक्टर : **(बैग खोलता है। स्टेथस्कोप से पेट, पीठ जांचता है। फिर नब्ज देखता है। आंख भी देखता है।)** देखो बादल! मरीज की हालत काफी गम्भीर है। अभी मैं सूई लगा देता हूं। एक्सरे लेना होगा। कफ इतना जमा है छाती में कि टी.बी. का लक्षण दिखाई देता है। पहले भी कभी खून का कतरा कफ के साथ आया था? **(उठकर सूई देता है)**

बादल : नहीं डॉक्टर साहब!

डॉक्टर : डरने की कोई बात नहीं **(पुरजा लिखता है)** देखो, दवाई लिख दी है। बाजार से मंगा लो। **(बादल को पुरजा बढ़ाता है)** और सुनो, इस केस में आयुर्वेद ही सबसे उत्तम रास्ता है। च्यवनप्राश और शुद्ध मधु कहीं मिले तो ज्यादे गुणकारी होगा।

बादल : मधु! वह भी शुद्ध? कहां मिलता है शुद्ध मधु?

डॉक्टर : यह खोजना तुम्हारा काम है। मैं अब चलता हूं मधु मत भूलना। मेरी समझ से मधु ही ऐसी चीज है जो इनकी छाती से बलगमों को निकाल बाहर करेगा। एक्सरे रिपोर्ट भी दिखा देना। अच्छा मैं चला। **(प्रस्थानोद्यत)**

बादल : वो सर, आपने बताया टी.बी. के बारे में। क्या सचमुच टी.बी. है सर?

डॉक्टर : है भी और नहीं भी। हो सकता है टी.बी. हो। कभी-कभी अधिक खांसने की वजह से आन्तरिक झिल्लियों पर अत्यधिक दवाब पड़ता है और खून निकल आता है। जब तक एक्सरे नहीं हो जाता, कुछ भी कहना मुश्किल है।

बादल : वो सर आपकी फीस!

डॉक्टर : ले लूंगा! पहले तुम काम-धाम शुरू करो। अभी तो सरकार मुझे पर्याप्त पैसे देती है। वेल डन! मैं चला!

बादल : प्रणाम डॉक्टर साहब!

डॉक्टर : प्रणाम!

• • • (पटाक्षेप)

द्वितीय दृश्य

[स्थान—घर। दुर्गानन्द सोया पड़ा है। झुनिया सिर सहला रही है]

बादल : मां, पिताजी की हालत कैसी है? कोई खास बात?

झुनिया : हालत तो जैसी की तैसी है! सूई पड़ी है। सोए पड़े हैं। मधु मिल गया था न?

बादल : नहीं मां! पूरा बाजार छान मारा। मधु कहीं नहीं मिला। सब जगह बस एक ही आवाज—मधु अब कहां मिलता है? न सरसों के फूल हैं, न कोई सोंधी महक! मधुमक्खी कहीं मिलती ही नहीं। लोग जंगलों को काटने में लगे हैं!

[पनसोखा का प्रवेश]

पनसोखा : **(बाल्टी में कृत्रिम मधु है। कन्धे पर बाल्टी है और माथे में आम्र पल्लव बंधा है) (चीखकर)** मधु ले लो!... ले लो मधु! मेरा नाम पनसोखा है जी! मेरा काम एकदम चोखा है जी! मेरे को चार खोखा है जी...खोखा नहीं समझे? खोखा मतलब बेटा! परिवार नियोजन जानता है? नहीं जानता?? हें, हें, हें... मैं भी नहीं जानता था। अस्पताल का डागडर बाबू बोलता—अधिक बच्चा नहीं चलेगा जी। उनको कहा—एक बच्चा तुम ले लो! अपन को तीन हो जाएगा। डागडर बोला—अपन को तो पांच खोखा है जी! नहीं समझा? ठीक है मत समझो? **(बादल को टहोका देता है)** ऐ...तुम इधर को क्या गुजुर-गुजुर ताकता! मधु लेगा? पन्द्रह रुपए लीटर! **(फिर चीखता है)** मधु ले लो...ले लो मधु...

बादल : ऐ मधुवाले! कैसा मधु है? 'प्योर' है?

पनसोखा : अपन प्योर...अपन का बेटा प्योर...अपन का मधु प्योर! तुम क्या समझता कि अपन महुआ दूध बेचता? कोशी का पानी मिलाता? अपन इस 'मुलुक' का नहीं! अपन का घर गंगा के उस पार...

मधुकलश

* भोला प्रशान्त

पात्र परिचय

1. बादल—**युवक**	5. पनसोखा—**मधु विक्रेता**
2. बरखा—**पत्नी**	6. शर्मा—**अनुदेशक**
3. दुर्गानन्द—**पिता**	7. वीरन—**युवक**
4. झुनिया—**मां**	8. डॉक्टर—**डॉक्टर**

प्रथम दृश्य

[स्थान—घर। खाट पर दुर्गानन्द खांस रहा है। बीमार है। झुनिया गरम पानी का गिलास लिए आती है]

दुर्गानन्द : कहां मर गयी थी सतवन्ती? मैं यहां चीख-चीख कर आकाश सिर पर उठाये मर रहा हूं, मुहझौंसी कमर झुलाती अभी आ रही है। **(खांसता है बेतरह)**

झुनिया : बस, बस, बस। खांस तो ऐसे रहे हो जैसे मालगाड़ी का डिब्बा पटरी पर नहीं, रोड पर जा रहा हो। लो गरम पानी पीओ और यह अदरख चबाओ। खांसी कम हो जायेगी। **(व्यंग्य पूर्वक)** जाओ, फिर गांजे की चिलस खींच आओ।

दुर्गानन्द : **(पानी वाला गिलास उठाकर फेंक देता है)** नहीं पीऊंगा गरम पानी। **(खांसता है)** मैंने कहा चिलम लाओ भरके तो ले आयी गिलास में अमृत घोल के। **(खांसता है मुंह टेढ़ा करके)** लो, यह अदलख तबाओ। **(खांसता है)**

झुनिया : मैंने कितनी बार मना किया, गांजा मत पीओ...बीड़ी-सिगरेट मत सुरको। डागडर बाबू कहते हैं—कैन्सर होता है।

दुर्गानन्द : चुप रहो। **(खांसने लगता है)** डागडर बाबू ने पूरे गांव का दिमाग खराब कर दिया है। बीड़ी मत पीओ, शराब मत छुओ, गांजे के पास मत जाओ। डागडर नहीं कपार।

झुनिया : देखो। डागडर बाबू को मत कोसो। चुपचाप अदरख चबाओ और चादर तान कर सो जाओ।

दुर्गानन्द : नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। **(चीखने के साथ मुंह से खून निकल आता है (खांसता है)**

झुनिया : बाप रे खून! **(सहम कर पुकारती है)** बहू! ओ बहू!! बादल!! जल्दी आ। देख तेरे बप्पा को क्या हो गया? **(घबड़ा कर)** हे सुरुज भगवान,...हे महावीर बाबा! मैं ठाकुर थान में 'धाजा' चढ़ाऊंगी। छठ का व्रत रखूंगी। मेरे पति की 'रच्छा' करो महावीर स्वामी! जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तेहूं लोग उजागर...

संस्थान व व्यावसायिक संस्थानों में महिलाओं की बहुत संख्या हैं और आज उनका व्यवसाय करना भी अस्वाभाविक नहीं माना जाता है। इसी स्वाभाविकता की वजह से महिला रिसेप्सनिस्ट और सेल्सगर्ल सेवाओं के लिए सेवा देने वाली महिलाओं की कतारें लगी रहती हैं।

आज महिलाएं मानसिक व वैचारिक स्तर पर पूर्णत: 21वीं सदी की ओर अग्रसर हो चुकी हैं। उनकी वैवाहिक स्थिति व विचार में व्यापक रूप से परिवर्तन हुए हैं। महिलाओं ने स्वयं के वैवाहिक जीवन पर स्वतंत्र रूप से सोचना एवं निर्णय लेना प्रारम्भ कर दिया है। स्त्रियों का शिक्षित वर्ग अन्तर्जातीय विवाह, प्रेम विवाह व विलम्ब विवाह को अच्छा मानने लगा है। महिलाओं में दहेज का संगठित रूप से विरोध प्रारम्भ हो गया है तथा परिवार को नियन्त्रित व नियोजित रखने में महिलाओं का अपना निर्णय अधिक कारगर सिद्ध हो रहा है। बड़े शहरों में स्त्रियों द्वारा संगठित संस्थाएं दहेज व महिला शोषण का खुल कर विरोध कर रही हैं।

घर की चारदीवारी से बाहर निकल चुकी महिलाओं ने पर्दा प्रथा को पूर्णत: नकार दिया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं उससे लगे बिहार के हिस्सों में कुछ समय पूर्व तक जहां स्त्रियों द्वारा ओढ़ी जाने वाली चादर पर्दे की दृष्टि से एक आवश्यक परिधान थी वह आज पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए विशेष अवसरों पर ओढ़ी जाने वाली परम्परागत पोशाक बन चुकी है। बहुत निम्न व पिछड़ा वर्ग भी इन परिधानों को पहनना आवश्यक नहीं मानता। इन्हीं वर्गों में लम्बी-लम्बी घूंघट वाली प्रथा भी स्वत: खत्म होती जा रही है। यद्यपि इस प्रकार के परिवर्तन के पीछे उच्च व मध्यम वर्ग से नकल की प्रवृत्ति काम करती है फिर भी ये परिवर्तन प्रगति की दृष्टि से बड़े ही अनुकूल व क्रांतिकारी सिद्ध हो रहे हैं। महिलाओं के इस बदलते रूप में कानून की भी बहुत निर्णायक भूमिका रही है। महिलाओं के कानूनी अधिकार क्षेत्र में बहुत वृद्धि हुई है—हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, हिन्दू विवाह अधिनियम, हिन्दू विशेष विवाह अधिनियम, संविधान की 'धारा 15 पार्ट III व IV' तलाक अधिनियम आदि ने पारिवारिक अधिकारों को बढ़ाया है। संयुक्त परिवारों का टूटना तथा एकांकी परिवारों का बढ़ना आज एक स्वयं सिद्ध सामाजिक सत्य बन चुका है। एकाकी परिवार में स्त्री पारिवारिक जीवन के प्रत्येक क्षण के लिए उत्तरदायी होती है। आज एकाकी परिवारों का बढ़ना ही इस बात का सबूत है कि महिला आज स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर रही है तथा अपने व अपने परिवार के महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं ले रही है। घर का प्रबन्ध उसका अधिकार क्षेत्र हो चुका है। यद्यपि पारिवारिक क्षेत्र में स्त्रियों के बढ़ते हुए अधिकार से पति-पत्नी के आपसी संघर्ष की नौबत कई बार आती है परन्तु आकारन्तर में यह इस तथ्य को ही स्पष्ट करता है कि आज वह अपनी भावना को व्यक्त करने का भी अधिकार पा गई है। वैवाहिक जीवन में उसका दासी स्वरूप गौण पड़ गया है तथा मित्र व सहयोगी का स्वरूप उभर कर सामने आ रहा है। ये तथ्य सभी वर्ग की स्त्रियों में समान रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। लेकिन इन सभी उपलब्धियों के बावजूद हमारी कानूनी, सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था में कुछ ऐसी कमियां हैं जिसके कारण स्त्रियों का शोषण सामान्य बात है। उदाहरण के लिए जहां संविधान की धारा 25 से 28 में स्त्रियों के लिए अनेक अधिकारों का जिक्र है वहीं कुछ व्यक्ति संबंधी कानूनों (पर्सनल लाज़) का जिक्र है जिसमें स्त्रियों को लगभग सभी क्षेत्रों में समान अधिकारों से इन्कार किया गया है। यहां तक कि उन्हें उनके शरीर पर भी अधिकार नहीं दिया गया है। लेकिन 21वीं सदी का ख्वाब देखने वाली हम महिलाएं वास्तविकता के धरातल पर अन्य बची हुई उपलब्धियों को भी हासिल कर लेंगी इसमें कोई सन्देह नहीं है। □

ए-9/123, प्रहलाद घाट,
वाराणसी-221001 (उ०प्र०)

तेज एवं विपुल ग्रामीण विद्युतीकरण.... (पृष्ठ 23 का शेष)

पांचवी समस्या यह है कि अधिकतर ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पाती हैं जिससे उनका लागत खर्च बढ़ जाता है और जो योजनाएं पूरी कर भी ली जाती हैं उनके लिए उर्जा का अभाव होने से बिजली की आपूर्ति नहीं की जाती हैं। इस प्रकार बिजली उत्पन्न करने और उसकी परिषण प्रणाली तथा बिजली की आपूर्ति और उसके वितरण के कार्य में समन्वय ठीक तरह से नहीं हो पाता है। कभी-कभी विद्युतीकरण में काम आने वाली सामग्री भी समय पर उपलब्ध नहीं होती हैं, जिससे विद्युतीकरण में अनावश्यक विलम्ब होता पाया गया है। इस प्रकार की समस्याओं से निबटने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसा कोई समन्वयकारी तरीका ढूंढा जाये जो बिजली की आपूर्ति किसानों के खेत तक पहुंचाने में लाभकारी सिद्ध हो सके। इस प्रकार का एक तरीका यह हो सकता है कि क्षेत्रीय स्तर या जिला स्तर पर एक अभिकरण की स्थापना की जाए जो इस प्रकार की समस्याओं से निबटने में सक्षम हो।

राष्ट्र को एक उन्नत राष्ट्र के रूप में 21वीं शदी में पहुंचाने के लिए आवश्यक है कि 'भारत की आत्मा—गांवों' को आत्मनिर्भर और सम्पन्न बनाया जाए। ग्राम्य प्रधान हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार और सुदृढ़ता लाने का एक मात्र तरीका यही है कि गांवों के कृषि विकास के साथ वहां पर कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। जितना संभव हो सके ग्रामीण जनता को अपने गांव के आस-पास ही रोजगार प्रदान करने की व्यवस्था की जाए। यदि ऐसा संभव हुआ तो हमारे राष्ट्र के गांव खुशहाल होंगे और राष्ट्र 21वीं सदी में एक विकसित राष्ट्र के रूप में प्रवेश करेगा। राष्ट्र और गांवों की उन्नति का यह सपना साकार करने में दो राय नहीं कि ग्रामीण विद्युतीकरण महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। □

एफ-64, पाकेट-1
मयूर विहार, दिल्ली-91

महिलाओं का बदलता रूप व हमारी सदी

कु० लिली सिंह

इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय नारी ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है। और आज नारी जिस मोड़ पर आकर खड़ी है वहां से पीछे मुड़ कर देखने का न तो उसे अवकाश है और न ही वह जरुरत महसूस कर रही है। अब तक नारी की उपलब्धि का सबसे बड़ा कारण उसका आत्मविश्वास रहा है जिसने उसे गृहस्थी की चारदीवारी से बाहर निकल हर क्षेत्र में कुछ न कुछ हासिल करने को प्रेरित किया है। और इसी प्रेरणा के फलस्वरूप उसने सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में प्राप्त अधिकारों को अपने नियोजित प्रयासों के द्वारा हासिल करने का प्रयत्न किया है।

शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान व समाज विज्ञान की मान्यताओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि स्त्री दो पीढ़ियों के बीच कड़ी का कार्य करती है। पुरुषों से अलग महिलाओं में धैर्य, सहनशीलता, प्रेम, ममता आदि गुणों की प्रचुरता है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं की स्थिति में काफी परिवर्तन हुए हैं। पश्चिमीकरण, औद्योगिकरण, नगरीकरण, निरपेक्षकरण, जातीय गतिशीलता तथा शैक्षणिक विकास आदि ने स्त्रियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को उन्नत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज किसी भी वर्ग, जाति या ग्रामीण पृष्ठभूमि की महिला को स्वतंत्रतापूर्वक खरीददारी करते, मनोरंजन व सार्वजनिक स्थलों पर जाते तथा नौकरी या व्यवसाय करते हुए देखा जा सकता है। जबकि 20 वर्ष पूर्व तक उच्च वर्ग व मध्यम वर्ग में ये क्षेत्र पूर्णतः पुरुषों द्वारा नियन्त्रित थे और सिर्फ निचले तबके की महिलाएं ही सड़कों पर निकलती थी जिसका कारण उनकी आर्थिक मजबूरी थी वर्ना वहां भी पुरुषों का ही शासन था। आज स्थिति भिन्न हो चुकी है। समाज के सभी वर्गों में बच्चों का पालन-पोषण व शिक्षा जैसे पूरी तरह स्त्रियों के हाथ में आ गई है व पुरुष इन क्षेत्रों में अपने उत्तरादायित्व से मुक्त से हो रहे हैं। लेकिन इसका ये आशय कदापि नहीं है कि महिलाओं पर इस ज़िम्मेदारी को लादकर पुरुष उनका शोषण कर रहे हैं अपितु महिलाओं ने स्वयं इन जिम्मेदारियों को धारण किया है और पुरुषों का इनमें बराबरी का सहयोग रहा है। आज उत्तरदायित्वों के बढ़ जाने के कारण महिलाओं का घर से बाहर जाना-आना आम बात हो गई है। अब स्थिति इतनी बदल चुकी है कि महिलाओं को व्यक्तिगत विकास के लिए अधिकांश घरों में मौका दिया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में बहुत कम अभिभावक ऐसे हैं जो स्त्रियों को अशिक्षित रखने के पक्ष में हैं। आज स्त्री शिक्षा का दर, लगातार बढ़ रहा है तथा आंकड़ों के स्तर पर प्राथमिक शिक्षा में शत प्रतिशत पंजीकरण की बात कही जा रही है। यदि यह स्थिति अधिक सही नहीं है तो भी जहां स्कूल उपलब्ध हैं वहां बहुत कम लड़कियां ऐसी हैं जो कि विद्यालय न जाती हों। जिन वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्रों में कुछ वर्षों पूर्व तक स्त्रियों के जाने की कल्पना नहीं की जा सकती थी वहां वे आज सफलतापूर्वक पहुंच कर प्रगति कर रही हैं। कुछ समय पूर्व 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में एक समाचार प्रकाशित हुआ था। जिसके अनुसार, "इंडिया इंटरनेशनल नई दिल्ली" ने एक निबन्ध प्रतियोगित आयोजित की थी। इस प्रतियोगिता में सर्वोच्च स्तर का तो कोई निबन्ध नहीं पाया गया लेकिन अन्य बातों को मद्देनजर रखते हुए जिस लेख को पुरस्कार हेतु चुना गया वह एक महिला का था। आज महिलाएं शिक्षा के साथ-साथ खेल, मनोरंजन, राजनीति, विज्ञान व रोजगार आदि के क्षेत्रों में न सिर्फ प्रगति, अपितु सर्वोच्चता हासिल कर रही हैं। यद्यपि महिलाएं पहले भी उत्पादक कार्यों में संलग्न थी लेकिन वह केवल ग्रामीण इलाकों तक सीमित था व आर्थिक पिछड़ापन होने के ही कारण ये महिलाएं योगदान करती थी। आज स्थिति भिन्न हो चुकी है। प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक सभी प्रकार के व्यवसायिक क्षेत्रों में स्त्रियों की सहभागिता बढ़ गयी है व उच्च वर्ग में व्यवसाय धनोपार्जन के साथ-साथ परस्थिति को दर्शाने वाला बन चुका है। आज खेतों, घरों और सड़कों पर काम करने वाली महिलाओं के साथ-साथ उद्योग, दफ्तर, शिक्षण

पम्प सैटों द्वारा सिंचाई की सरल सुविधा उपलब्ध होने से किसान अपने बचे हुए समय का सदुपयोग अन्य छोटे-छोटे पेशे अपनाकर कर रहे हैं। विद्युतीकरण हो जाने से मानसून पर निर्भरता में कमी आई है जिससे किसान अब अधिक विश्वास के साथ खेती करने लगा है। विद्युत पम्प सैटों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध हो जाने से किसान अब एक ही वर्ष में दो-दो, तीन-तीन फसलें उगाने लगा है जिससे उसकी आमदनी में बढ़ोत्तरी तो होती ही है साथ ही भूमि का सदुपयोग भी बढ़ा है। इससे राष्ट्र के अन्नोत्पादन में भारी वृद्धि हो रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रामीण विद्युतीकरण ने हरित क्रांति को सफल बनाने में अति विशिष्ट भूमिका अदा की हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण में समस्याएं एवं निराकरण सम्बन्धी सुझाव

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण करने के लिए प्रयासरत हैं परन्तु व्यवहार में कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जो निगम के कार्यों में बाधक बनी हुई हैं।

प्रथमत: पम्प सैटों का अधिक मूल्य होने की वजह से गरीब किसान, जिनमें सीमांत और लघु जोत वाले कृषक होते हैं, विद्युतीकरण का पूरा फायदा नहीं उठा पाते हैं। विद्युतीकरण का फायदा मुख्यत: धनी और सम्पन्न किसान ही उठा रहे हैं। गरीब किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए इसी श्रेणी के किसानों पर निर्भर हो जाते हैं जिससे उन्हें दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है। एक तो इस प्रकार के कृषक अपने खेतों की सिंचाई के लिए जो किराया पम्प सैट के मालिक को देते हैं वह सामान्यत: बिजली पर आने वाले खर्चे से बहुत अधिक होता है, दूसरा नुकसान यह सहना पड़ता है कि पम्प सैट का मालिक किराये पर सिंचाई तब ही करता है जब वह अपने खेतों की सिंचाई पूरी कर लेता है। इससे किराये पर सिंचाई के लिए निर्भर किसान के खेतों को समय पर पानी नहीं मिल पाता, जिससे उसकी फसल में नुकसान होता है।

इस प्रकार की स्थिति से निबटने के लिए आवश्यक है कि व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक, सहकारी बैंक एवं सहकारी समितियां आदि वित्तीय संस्थाएं छोटे और गरीब किसानों को उदार शर्तों पर आसान किस्तों के आधार पर ऋण प्रदान करने के लिए आगे आयें।

छोटे और गरीब किसानों को विद्युतीकरण का फायदा उपलब्ध कराने के लिए एक उपाय यह भी है कि सामूहिक पम्प सैट लगाने की योजना बनाई जाए और कुओं को और गहरा करके उनकी पानी की क्षमता बढ़ाई जाए।

राष्ट्र स्तर पर सरकारी ट्यूबवेलों की स्थापना भी एक अन्य उपाय है जिससे गरीब कृषकों को विद्युतीकरण का पूरा लाभ दिया जा सकता है।

दूसरी समस्या ग्रामीण विद्युतीकरण में यह देखी जाती है कि बिजली की समय पर आपूर्ति न होने की वजह से कई बार खेतों में खड़ी फसल सूखने लग जाती है। समय पर पानी न मिलने से फसल में काफी नुकसान होता है। अत: इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए कि फसल की सिंचाई की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली विद्युत की आपूर्ति में किसी प्रकार की कटौती नहीं होनी चाहिए।

तीसरी समस्या यह देखने में आती है कि जब भी किसी कारणवश बिजली की आपूर्ति में कटौती की जाती है तब सबसे प्रथम शिकार ग्रामीण क्षेत्र होता है। इस प्रकार की कटौती ग्रामीण क्षेत्रों में अनावृष्टि की वजह से होने वाले अकाल जैसी स्थिति ला देता है। अत: राष्ट्रीय विकास के लिए यह आवश्यक है कि उत्पादन के क्षेत्र गांवों को इस स्थिति का शिकार न बनने दें।

चौथी समस्या यह देखने में आती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की चोरी अपेक्षाकृत अधिक होती है। बिना कनैक्शन के ही लोग बिजली का घरेलू उपयोग करते हैं। इस प्रकार की चोरी में बिजली विभाग के कर्मचारियों की शह होती है अत: इस प्रकार की चोरी करना एक सामान्य बात हो गई है। गांवों में लोग अनावश्यक रूप से बिजली जलाते रहते हैं जिसका कोई आर्थिक लाभ भी नहीं होता है। अत: इस प्रकार की चोरियों को रोकने के लिए बिजली विभाग के कर्मचारियों को ईमानदारी से कार्य करना चाहिए एवं अपराधियों को उचित दंड दे कर इस फैलते हुए रोग पर रोक लगानी चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण की एक समस्या यह भी देखी जाती है कि बिजली विभाग में कार्यरत कुछ भ्रष्ट कर्मचारी भोले-भाले गरीब किसानों से कनैक्शन दिलवाने के नाम पर खूब पैसा वसूल करते हैं जिससे किसान को कनैक्शन लेना मंहगा पड़ जाता है। इस रिश्वत खोरी की वजह से कई किसान तंग आकर अपनी योजना को बीच में ही छोड़ देते हैं। यह भी देखा गया है कि जो थोड़े बहुत जागरुक लोग हैं वे रिश्वतखोर कर्मचारियों की शिकायत बड़े अधिकारियों और स्थानीय नेताओं से कर देते हैं। इस प्रकार की शिकायतों से भ्रष्ट कर्मचारी रिश्वत तो नहीं मांग पाते परंतु बदले की भावना से कनैक्शन देने में विलम्ब कर देते हैं तथा शिकायतकर्ता को ताने दे देकर परेशान कर देते हैं और ऐसी स्थिति बना देते हैं कि किसान पुन: बिजली विभाग के दफ्तर में बड़ी हिम्मत करके ही जा पाता है।

इस प्रकार की स्थिति से निबटने के लिए यह आवश्यक है कि भ्रष्ट कर्मचारियों को कानूनन दंड दिया जाए तथा स्थानीय नेताओं को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र के किसानों की इस प्रकार की परेशानियों को समझें तथा उनके निराकरण हेतु बड़े अधिकारियों पर दबाव डालें।

(शेष पृष्ठ 25 पर)

इन क्षेत्रों के लिए 300 के लगभग योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की है जिसके अंतर्गत 23,000 गांव हैं।

दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के गांवों का पूर्णतः विद्युतीकरण करने का उच्चतम आदर्श निर्धारित किया गया जिसका श्री राजीव गांधी के नेतृत्व वाली वर्तमान केन्द्र सरकार ने अनुमोदन किया है। भारत वर्ष के कुल 5.67 लाख गांवों में से 1.08 लाख गांव अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इन गांवों के 18 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो चुका था। मार्च 1985 तक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के 31 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया था जिसे लगभग पूरा कर लिया गया है।

ग्रामीण विद्युतीकरण में प्रादेशिक असंतुलन

ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत यह बात विशेष रूप से देखी जा सकती है कि इस क्षेत्र में काफी असंतुलन है। पंजाब, हरियाणा और केरल राज्यों तथा दिल्ली, चंडीगढ़ एवं पांडिचेरी जैसे केन्द्र प्रशासित राज्यों के शत प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है वहां दूसरी ओर असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा आदि राज्यों के मात्र 15 प्रतिशत के लगभग गांवों का ही विद्युतीकरण हुआ है। इन राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण की उपलब्धि प्रावधान से भी बहुत कम है। मिजोरम में ग्रामीण विद्युतीकरण का प्रतिशत आवश्यकता से भी काफी नीचे है। वहां पर मात्र 3.9 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हुआ है। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि जिन राज्यों में पूंजी निवेश की क्षमता नहीं थी वहां पर विद्युतीरकण का लाभ नहीं पहुंचाया गया है जिससे विद्युतीकरण के साथ-साथ आर्थिक प्रगति में भी प्रादेशिक असंतुलन बढ़ा है। जिन राज्यों का विद्युतीकरण हो चुका है उनकी आर्थिक प्रगति अन्य पिछड़े राज्यों की तुलना में काफी ऊंची है।

ग्रामीण विद्युतीकरण का प्रभाव

ग्रामीण विद्युतीकरण का प्रभाव सबसे अधिक उन क्षेत्रों पर पड़ा है जहां पर सिंचाई के नहर आदि जैसे साधन उपलब्ध नहीं थे। इन क्षेत्रों में विद्युत को सिंचाई के साधन के रूप में प्रयुक्त किया गया जिससे अधिक अन्नोत्पादन तो हुआ ही साथ ही लोगों की आय में वृद्धि होने से उनके जीवन-स्तर में भी सुधार आया। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश सिंचाई कुओं, तालाबों या पोखरों से होती है। जहां पर जमीन पानी के स्तर से ऊंची है वहां पर विद्युत का उपयोग पंपसैटों के रूप में काफी बढ़ा है। विशेषकर उन क्षेत्रों में विद्युत का उपयोग लाभकारी सिद्ध हुआ है जहां पर कुएं इतने गहरे हैं कि डीजल इंजन (डीजल द्वारा चालित पंपसैट) की सहायता से पानी ऊपर नहीं आ पाता था। राजस्थान का मरु भाग इसी प्रकार का क्षेत्र है जहां पर पानी काफी गहराई पर होता है परन्तु विद्युत ने वहां के जनजीवन में नई ज्योति जलाई है। विद्युत पंपसेटों से वहां पर पीने का पानी तो उपलब्ध होता ही है थोड़ा बहुत अन्नोत्पादन भी हो जाता है और पशुओं को हरा चारा भी उपलब्ध हो जाता है।

ग्रामीण विद्युतीकरण द्वारा सिंचित क्षेत्र में तो वृद्धि होती ही है, फसल पर अन्य किसी ऐसे ही साधन की अपेक्षा सिंचाई व्यय भी कम होता है। उर्जा सर्वेक्षण आयोग के अनुसार धान की एक फसल को पूरी तरह सिंचाई करने पर डीजल इंजन पर 205 रुपये व्यय होता है जबकि विद्युत पंप सेट पर बिजली का खर्च मात्र 138 रुपये आता है। इस प्रकार विद्युत से किसान को दोहरे लाभ प्राप्त होते हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनाओं का विस्तार होने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसर उपलब्ध हुए हैं। गैर-कृषिजन्य उद्योग धन्धे उर्जा पर पूर्णतः अवलम्बित रहते हैं। इन उद्योग धन्धों में गांवों की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग लगा हुआ है। इन उद्योग धन्धों की सफलता ग्रामीण विद्युतीकरण पर आश्रित है। 'लघु उद्योग धन्धों ने पिछले दशक में असाधारण प्रगति कर देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण तथा विशेष स्थान बना लिया है। कुल औद्योगिक उत्पादन का लगभग 49 प्रतिशत उत्पादन ग्रामीण और लघु उद्योग करते हैं।' विद्युत के उपयोग से गांवों में कई प्रकार के लघु एवं कुटीर उद्योगों की संभावना है और कुछ मात्रा में ऐसे उद्योग कार्य भी करने लग गए हैं। आज गांवों में हम बिजली की सहायता से प्रचालित मशीन के द्वारा रुई की पिंदाई करते हुए देख सकते हैं। पत्तल-दोने बनाने की मशीन, तेल निकालने की घानी, सूत कातने की मशीन, पत्थर फोड़ने की मशीन, आटा एवं मसाला पीसने की मशीन, कपड़ों पर कशीदाकारी की मशीन, हरे चारे की कुट्टी करने की मशीन, गन्ने का रस निकालने की मशीन आदि देख सकते हैं। इन सबके द्वारा जहां गांवों के कठिन जीवन को कुछ आराम मिला है, वहां इन धन्धों के खुलने से रोजगार के नये अवसर भी प्राप्त हुए हैं और लोगों की आमदनी भी बढ़ी है।

ग्रामीण विद्युतीकरण के फलस्वरूप ही ग्रामीण क्षेत्रों में पैट्रोलियम पदार्थों—डीजल और मिट्टी के तेल आदि की खपत और मांग में कमी आई है, जिससे जहां एक ओर अत्याश्यक बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत हुई है वहीं विकास की गति भी तीव्र हुई है।

ग्रामीण विद्युतीकरण से ग्रामीणों के रहन-सहन के स्तर में भी सुधार हुआ है। गांवों में सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गए सामुदायिक टेलीविजन सैटों का आनन्द ग्रामीण जनता सामूहिक रूप से उठा ही रही है, वहीं कुछ सम्पन्न लोगों ने अपने निजी टी.वी. सैट भी लगा लिए हैं। इस प्रकार के साधन जहां एक ओर मनोरंजन प्रदान करते हैं वहीं कृषि के क्षेत्र में हुई नई उपलब्धियों, अनुसंधान और प्रगति की जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण की आवश्यकता एवं महत्व को ध्यान में रखकर भारतीय रिजर्व बैंक ने अखिल भारतीय ग्रामीण साख पुनर्विचार समिति को इस संदर्भ में प्रतिवेदन देने के लिए नियुक्त किया। समिति ने लघु सिंचाई योजना तथा कृषि के विकास के लिए जमीन से पानी की निकासी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत का उपभोग बढ़ाने की सिफारिश की और यह सुझाव दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर ऋण देने हेतु एक अभिकरण की स्थापना की जाए, जो लघु सिंचाई योजनाओं को विद्युत प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य विद्युत मंडलों को ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए ऋण दे।

इस समिति की अनुशंसा के आधार पर भारत सरकार ने प्रायोजित ग्रामीण विकास को गति देने के उद्देश्य से जुलाई 1979 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की। इस निगम का उद्देश्य ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं को वित्तीय सहायता देकर गांवों को बिजली पहुंचाने के काम को बढ़ावा देना और राज्यों में ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता देकर उन्हें बढ़ावा देना है। इसकी अधिकृत पूंजी 150 करोड़ रुपये नियत की गई है और चुकता पूंजी 120 करोड़ रुपये है।

20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन ग्रामीण विद्युतीकरण और पम्पसैटों को बिजली पहुंचाने के काम में काफी प्रगति हुई है। वर्ष 1984 के दौरान 23,532 गांवों को बिजली पहुंचाई गई जबकि लक्ष्य 23,631 गांवों का था। इस प्रकार लक्ष्य की 99.5 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की। मार्च 1984 तक 58 प्रतिशत अर्थात 3 लाख 34 हजार गांवों में विद्युतीकरण हो चुका था। 1983-84 के दौरान 3,37,000 पम्पसैटों को बिजली दी गई जबकि लक्ष्य 3,68,000 पम्पसैटों का था। देश में बिजली से चलने वाले पम्पसैटों की संख्या 51 लाख है जो कि देश में कुल 120 लाख पम्पसैटों का 43 प्रतिशत है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण पर मात्र 8 करोड़ रुपये वास्तविक रूप में खर्च किये गये थे। और मात्र 4,233 गांवों का विद्युतीकरण किया गया था और 35,000 पम्पसैटों को विद्युत की आपूर्ति की गई थी। पांचवीं पंचवर्षीय योजना तक ग्रामीण विद्युतीकरण पर 1,936 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके थे। केवल छठी पंचवर्षीय योजना में 2,282 करोड़ रुपये ग्रामीण विद्युतीकरण पर व्यय करने का लक्ष्य रखा गया था, जो विगत पांच पंचवर्षीय योजनाओं के व्यय से भी अधिक है। इस प्रकार छठी योजना प्रावधान आशा से काफी अधिक रखा गया। निगम के पास 1995 तक देश के सभी गांवों का विद्युतीकरण करने की योजना है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की अब तक की संकल प्रगति को देखते हुए यह विश्वास किया जा सकता है कि निगम अपने लक्ष्य निश्चित समय में पूरा कर लेगा। यदि आशा के अनुरूप निगम अपने लक्ष्य पूरा करा लेता है तो निश्चित ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया सशक्त स्वरूप मिलेगा।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने गांवों का विद्युतीकरण करने में तेज़ी लाने के लिए प्रभावशाली नीति का निर्माण किया है। प्राथमिकता के तौर पर उन क्षेत्रों को लिया गया है जहां एक या एक से अधिक कृषि विकास और औद्योगिक कृषि विकास की योजनाएं चल रही हैं। निगम ने राज्यों के विद्युत बोर्डों से संपर्क कर राज्यों को दो भागों में बांटा है—पिछड़े राज्य और अन्य राज्य। राज्यों के विभाजन का यह आधार राज्यों की आर्थिक समृद्धि, विद्युतीकरण के स्तर और सिंचाई की सुविधा आदि बातों को ध्यान में रखकर किया गया है। अपनी योजनाओं को निगम ने क्षेत्र के आधार पर तीन भागों में बांटा है—विकसित क्षेत्र, पिछड़े क्षेत्र और विशेष पिछड़े क्षेत्र।

पिछड़े क्षेत्रों में विद्युतीकरण के लिए विशेष कार्यक्रम

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का उद्देश्य विभिन्न राज्यों में विकास के असंतुलन को पाट कर एक सी गति प्रदान करने का है। इसी कारण निगम ने पिछड़े क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए हैं। पिछड़े क्षेत्रों में कृषि के विकास के लिए निगम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निगम ने पिछड़े और अल्पविकसित क्षेत्रों में विद्युतिकरण के लिए अपने द्वारा दिए जाने वाले ऋणों का 70 प्रतिशत अंश इन क्षेत्रों के लिए स्वीकृत किया हैं। ऋणों की स्वीकृति देने के नियम और शर्तों में निगम ने पिछड़े राज्यों को काफी छूट दी हैं। निगम के नियमों के अनुसार विकसित राज्यों से ऋण वसूली का समय 10 वर्ष है जबकि पिछड़े राज्यों से ऋण की वापसी की अवधि 12 वर्ष नियत की गई है। विकसित राज्यों को ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के लिए निगम कुल लागत का 60 प्रतिशत ही ऋण प्रदान करता है, शेष 40 प्रतिशत पूंजी राज्यों को स्वयं के साधनों और स्रोतों से जुटानी पड़ती है जबकि पिछड़े राज्यों की ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनाओं के लिए निगम शत प्रतिशत ऋण देता है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने दिये जाने वाले ऋणों पर पिछड़े क्षेत्रों के लिए ब्याज की दर अन्य विकसित क्षेत्रों की तुलना में काफी कम रखकर विद्युतीकरण की योजनाओं को प्रोत्साहन दिया है।

आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए विद्युतीकरण की नीति के अन्तर्गत विशेष कार्यक्रम चलाए गए हैं। आदिवासी क्षेत्र साधारणतः आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र हैं अतः इसीलिए इनके विकास की आवश्यकता को महत्व प्रदान किया गया है। इन क्षेत्रों के विद्युतीकरण की एक विशेष परियोजना को प्रारंभ किया गया है।

राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के पहाड़ी क्षेत्र तथा मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम व मेघालय के पिछड़े तथा पहाड़ी क्षेत्रों के कृषि विकास के लिए निगम ने कई योजनाओं की क्रियान्विती की है। निगम द्वारा

तेज एवं विपुल ग्रामीण विद्युतीकरण से ग्राम्य समृद्धि संभव

राम सहाय

हमारे देश में बिजली उत्पादन की शुरुआत सन् 1900 में कर्नाटक में शिव समुद्रम में पन-बिजली घर से हुई। इस प्रकार बिजली का उत्पादन इस शताब्दी के प्रारम्भ में ही होने लगा था लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक इस क्षेत्र में कोई खास प्रगति नहीं हुई। 1947 तक बिजली उत्पादन की कुल क्षमता 19 लाख किलोवाट थी और इसका उत्पादन ज्यादातर शहरी क्षेत्रों के निकट होता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी हमारे देश में प्रारम्भिक वर्षों में बिजली का उपभोग 'सुविधा के साधन' के रूप में किया जाता था। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रारम्भिक वर्षों तक बिजली का उपभोग उत्पादन के बजाय विलासिता के लिए किया जाता था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 27 करोड़ रुपये विनियोग करने का प्रावधान था लेकिन वास्तविक विनियोग मात्र 8 करोड़ रुपये का ही किया गया। बाद के वर्षों में देशव्यापी भयंकर सूखे तथा खाद्यान्न की कमी से हमारे देश के योजनाकारों और प्रशासन का ध्यान अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र कृषि की ओर आकर्षित हुआ।

ग्रामीण विद्युतीकरण की आवश्यकता

ग्राम प्रधान भारत वर्ष की अर्थव्यवस्था का विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रगति पर निर्भर है। गांवों के विकास के लिए उन्नत कृषि और ग्रामीण उद्योग धंधों का विकास एवं समानांतर रूप से विस्तार आवश्यक है। विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में करीब 40 प्रतिशत अंश कृषि क्षेत्र का होता है। देश के 60 प्रतिशत लोगों का जीवन-निर्वाह कृषि पर चलता है और देश के कुल निर्यात में लगभग 35 प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र का है। अधिकांश उद्योगों के लिए कच्चा माल तथा अन्य कई गैर-कृषि क्षेत्रों के लिए आवश्यक अधिकतर सामान कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त किया जाता है। मानसून की अनिश्चितता के कारण कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अनावृष्टि से अकाल और अतिवृष्टि से बाढ़ और इन दोनों ही स्थिति में ग्रामीण जनता को भुखमरी का सामना करना पड़ता है। सूखे से निपटने के लिए हमारे योजनाकारों ने सिंचाई के साधनों के विकास के लिए समुचित कदम उठाये। इन साधनों में ग्राम विद्युतीकरण को भी महत्व दिया गया।

ग्रामीण विकास को अक्सर कृषि के विकास से जोड़ा जाता है जबकि स्थिति इससे भिन्न है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में 31 प्रतिशत ग्रामीणों के पास 2.5 एकड़ से लेकर 10 एकड़ तक योग्य भूमि है। इस श्रेणी के ग्रामीणों के पास कृषि योग्य कु का 33 प्रतिशत भाग है। 12 प्रतिशत धनी किसानों के प एकड़ या उससे अधिक भूमि है जो कुल कृषि योग्य भूमि प्रतिशत है। 9 प्रतिशत धनी किसानों के पास 20 एकड़ य अधिक खेती योग्य भूमि है। इस प्रकार अधिकतर ग्रामीण गरीब हैं। इन गरीब किसानों के अतिरिक्त अन्य ऐसे व्यवस हैं जिनका जीविकोपार्जन का साधन छोटे-छोटे उद्योग ध इन उद्योग धन्धों के लिए उर्जा की आवश्यकता प प्रचलित पुरातन साधन इन उद्योग धन्धों के लिए अपर्याप्त विद्युतीकरण की आवश्यकता कृषि के लिए ही नहीं वरन् उद्योग धन्धों के लिए भी आवश्यक है। तेली के तेल निक धानी को, चर्मकार के लिए चमड़ा पकाने के लिए, आटा चक्की, पत्थर फोड़ने की मशीन आदि कई ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें ग्रामीण विद्युतीकरण क्रांति ला सकत ग्रामीण समुदाय के शहरों की ओर होते हुए पलायन सकता है।

ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति

स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रारंभिक वर्षों में ग्रामीण विद्युती कोई ध्यान नहीं दिया गया। जैसा पूर्व में उल्लेख किया ज कि प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में ग्रामीण विद्युतीकरण 27 करोड़ रुपये विनियोग करने का प्रावधान था लेकिन विनियोग मात्र 8 करोड़ रुपये ही हुआ। परन्तु इसी अ बाद के वर्षों में भयंकर सूखे तथा खाद्यान्न की कमी योजनाकारों और प्रशासन का ध्यान हमारे देश की अ के प्राथमिक क्षेत्र-कृषि की ओर आकर्षित किया।

यह महसूस किया गया कि देश के आर्थिक विकास के का विकास होना आवश्यक है अन्यथा खाद्यान्न अनिश्चित मानसून के भरोसे छोड़ देने से निरंतर बनी प्रकार खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर होने औ अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए ग्रामीण विद्युत आवश्यकता महसूस की गई। ग्रामीण विद्युतीकरण पम्पिंग सेट, ग्रामीण औद्योगीकरण और कृषि संबंधी उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम को शामिल किया गया।

होता, हमने भी इसमें कोई खाद नहीं डाली बल्कि पिछले तीन पहले गोबर की खाद डाली गयी थी। इस खेत से बर्षात का अवश्य बहकर निकलता है, जिससे कुछ उपजाऊ मिट्टी होती रहती है।

जरा बोने के बाद जब लगभग आधा-आधा फुट के पौधे हो उसकी खुरपी से निराई करा दी तथा बाद में जब एक-एक हो गये तो हल से जुताई करा दी। इसके बाद अन्य खेतों के इसकी भी देख भाल करते रहे। क्वार के महीने में जब बालें ना शुरु हुई तो वे देखते देखते सामान्य से असामान्य होती ायी, जो एक मीटर दस सेन्टीमीटर तक की पायी गयी, इतनी -लम्बी बालियां सभी के लिये आश्चर्य का कारण बन गयी।

र्तिक के दूसरे पक्ष में जब फसल पक कर तैयार हो गयी तो टवाया गया और तोल करायी गयी, तो 16 मन बाजरा पाया जब कि अन्य वर्षों में इसी खेत में 4-5 मन से अधिक नहीं ती थी। बाजरे का दाना भी अपने देशी बाजरे की भांति ही है, उसमें किसी प्रकार का अन्तर नहीं है, बल्कि नयी किस्म का बाजरा खाने में और स्वादिष्ट है।

ग्राम प्रधान एवं कृषक श्री शिव प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि इस क्षेत्र की पड़ुवा मिट्टी का एक निश्चित क्षेत्र है जो लगभग 50 एकड़ क्षेत्र में पायी जाती है। यद्यपि इसमें फसल अच्छी होती है किन्तु सिंचाई की सुविधा न होने के कारण वह पैदावार नहीं हो पाती जो सिंचाई की सुविधाओं के साथ हो सकती है। ग्राम प्रधान का कहना है कि यदि यहां एक नलकूप ही हो जाय तो काफी लाभ यहां के किसानों को मिल सकता है। उत्पादित बाजरे का बीज काफी लोगों को उपलब्ध करा दिया गया है देखना है अगले वर्ष कितनी उपज होती है और कितने कृषक इनका फायदा उठाते हैं। □

739/5, मदन नाका
बांदा (उ.प्र.)

"हल्दी के विविध उपयोग"

शोभागमल जैन

र पर चोट अथवा सूजन आ गई है तो हल्दी चूना मिलाकर करने से दर्द ठीक हो जाता है।

की गांठ पत्थर पर पानी के साथ घिसकर सहने लायक करके आंखों के उपर लेप करने से आंख का घाव ठीक हो है।

चोट लगने पर गुन-गुने दूध में हल्दी का चूर्ण (एक व) मिलाकर पीने से लाभ होता है।

र हल्दी का लेप करने से घाव के कीड़े नष्ट हो जाते हैं ाव पर हल्दी का चूर्ण बुरकने से वह जल्दी भर जाता है।

पत्तों के साथ पीसकर चर्म रोगों पर लगाने से चर्म रोग जाते हैं।

टूट जाने पर घी में थोड़ा सा लहसुन भूनकर हल्दी र दूध के साथ पीने से हड्डी जल्दी जुड़ जाती है।

ा सिर दर्द हो रहा हो तो थोड़ी सी हल्दी चाय में कर पीयें-दर्द से आराम मिलेगा।

तेज होने पर चुटकी भर हल्दी फांक कर गर्म दूध पीने से मिलता है।

पके दांत अधिक पीले हो गये हों तो चुटकी भर हल्दी, वं थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर कुछ दिन तक प्रातः एवं सायंकाल भोजन करने से पहले घिसने से कुछ ही दिनों में दांत चमक जाते हैं।

– बिच्छू के काटने के स्थान पर हल्दी का लेप करने से लाभ होता है।

– आंखों पर हल्दी का लेप करने से आंखों की ललाई साफ हो जाती है।

– आंख लाल हो जाने पर हल्दी, फिटकरी, इमली की पत्ती समभाग लेकर तथा पीसकर पोटली बनाइये—फिर तवे की आंच पर इस पोटली को गर्म कर सिकाई करने से लाभ होता है।

– लगातार हिचकी आने पर चुटकी भर हल्दी को जीभ पर रखकर उसे पानी से निगल लें—हिचकी बंद हो जाएगी।

– खांसी एवं गला खराब होने पर हल्दी की गांठ मुंह में रख कर चूसे।

– सूखी खांसी होने पर हल्दी का चूर्ण शहद के साथ मिलाकर चाटना चाहिये। □

226, खाई रोड
नयापुरा कोटा

बाजरे की नयी किस्म एक मीटर से अधिक लम्बी बाल

शिव प्रसाद भारती

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में फतेहपुर—अमौली रोड पर ककोरा नाम का एक गांव है जो खाजुहा विकास खण्ड के अन्तर्गत मऊदेव से 3 किलोमीटर की दूरी पर वाराघाट को फूटने वाली रोड के किनारे एक किलोमीटर पर स्थित है। जनपद के अन्य गांवों की तरह ककोरा भी एक सामान्य गांव है। खेती किसानी ही यहां का मुख्य व्यवसाय है। इस वर्ष यहां के ग्राम प्रधान श्री शिव प्रसाद द्विवेदी के खेत में बाजरे की आश्चर्यजनक फसल पैदा हुई। क्वार के महीने में जब बाजरे की बालें निकलने लगी तो देखते हैं कि अधिक से अधिक एक फीट लम्बी बालों के स्थान पर वे एक मीटर से अधिक की लम्बाई तक बढ़ती चली गयीं, तो ग्रामीणों ने इसे अपशकुन माना और उस खेत को जोत कर बाजरा नष्ट कर देने की सलाह दी। गांव की परम्परायें ग्रामवासियों के लिये किसी भगवान के आदेश से कम नहीं होती, चाहे वह वैज्ञानिक एवं तार्किक ढंग से सही हो या गलत। इसी ऊहापोह में श्री द्विवेदी फंस गये। कोई कहता अकाल पड़ने का संकेत है, कोई दुर्भिक्ष पड़ने एवं कोई महामारी फैलने की पूर्व सूचना बताता। तरह-तरह की बातें सुनते-सुनते ग्राम प्रधान की कुछ पढ़े लिखे एवं आधुनिक खेती की जानकारी रखने वाले व्यक्तियों से भेंट हुई। उन्होंने इन बातों का खण्डन किया और सलाह दी कि आप अपने खण्ड विकास अधिकारी से सम्पर्क कर लें।

श्री शिव प्रसाद द्विवेदी ने दो तीन बाजरे की बालें तुड़वायी और खण्ड विकास अधिकारी खजुहा श्री आर.डी. दोहरे से मिले। खण्ड विकास अधिकारी ने उनकी अन्ध विश्वासी बातों का खण्डन करते हुये कहा "यह बाजरे की नयी किस्म का कमाल है। इसको बढ़ने दीजिए और फसल होने पर बीज अधिक से अधिक किसानों को दीजिए।" साथ ही उन्होंने जिला कृषि अधिकारी एवं जिले के अन्य अधिकारियों से भी सम्पर्क करने की सलाह दी। खण्ड विकास अधिकारी की बातें सुनने से प्रधान को ढाढस बंधा और उनका भय जाता रहा। खजुहा से गांव वापस जाने एवं पुनः जिला मुख्यालय फतेहपुर आने-जाने में परेशानी होने के कारण उसने वहीं से फतेहपुर के लिये प्रस्थान किया। सर्वप्रथम वह जिला कृषि अधिकारी से मिला और अपनी बाजरे की बाल दिखायी। कृषि अधिकारी बाल देखकर खुश हुये। इन्होंने वह बाजरे की बाल जिला विकास अधिकारी श्री डी.एस. लाल, जिला पंचायतराज अधिकारी श्री चन्द्र मौलि पाण्डेय, जिला युवा कल्याण अधिकारी श्री बी.एन. चटर्जी आदि अधिकारियों को दिखायी। जिसे देखकर सभी अधिकारियों ने आश्चर्य व्यक्त किया।

जिला पंचायत राज अधिकारी ने यह बाल जिला अधिकारी श्री अमर नाथ सिंह को भी दिखायी जिसे देखकर कृषि के क्षेत्र में अनुभवी जिला अधिकारी ने इस बीज को अधिक से अधिक प्रसारित कराने की सलाह दी। जिला कृषि अधिकारी ने बाजरे की बालियों का कुछ नमूना अपने कार्यालय में संरक्षित कर लिया जो कभी भी देखा जा सकता है। अब तक लोगों द्वारा बताई गयी बातों से उत्पन्न भय दूर हो चुका था और ग्राम प्रधान अपने को धन्य समझ रहे थे।

उन्नतिशील कृषक शिव प्रसाद द्विवेदी ने अपने नये किस्म के बाजरे एवं उसके बोने की विधि के सम्बन्ध में बताया "गांव के पास ही डेढ़ बीघे का एक खेत है जिसमें पड़ुवा प्रकार की मिट्टी है। फतेहपुर में यह भूमि उपजाऊ मानी जाती है। इस क्षेत्र में यहां सिंचाई के कोई साधन भी नहीं हैं। इस खेत में हर तीसरे वर्ष बाजरा बोया जाता था, किन्तु इस प्रकार की फसल पैदा नहीं हुई। इस वर्ष भी हमने सामान्य वर्षों की तरह तीन बार हल से जुताई करके बाजरा बोने की तैयारी की। इसी बीच इलाहाबाद से हमारे एक रिश्तेदार आ गये, उन्होंने अपने यहां से नया बाजरे का बीज लेकर बोने की सलाह दी। उनकी सलाह के अनुसार हमने एक आदमी भेजकर सीड स्टोर धनुपुर, तहसील हड़िया, जिला इलाहाबाद से बीज प्राप्त किया और सावन के महीने में चिरइया नक्षत्र में बो दिया। यहां अधिकतर आधुनिक खादों का प्रयोग भी

ा अन्य कर्मस्थल हो,
न महत्वपूर्ण है।

ादिवासी महिला।

परिश्रम में भी महिलाएं मुस्कराती रहती हैं।

धान की रोपाई करती हुई आदिवासी महिला।

घर-बार, खेती-बाड़
महिलाओं का यो

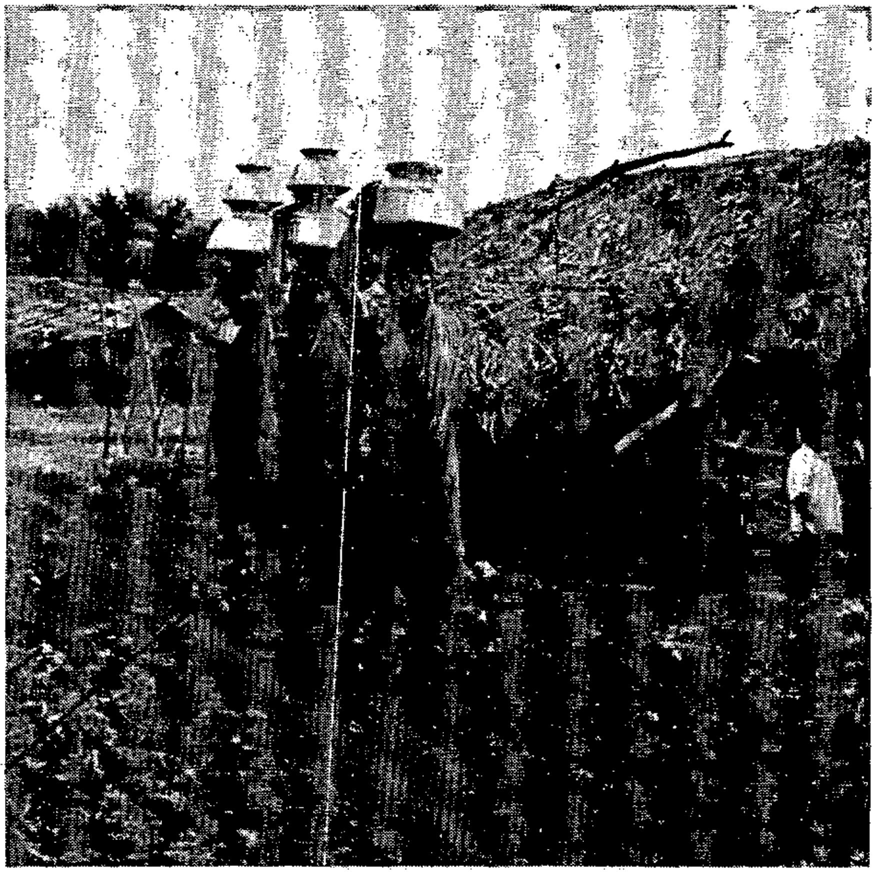

पीने का पानी मुख्य रूप से महिलाएं ही लाती हैं।

अपने पुत्र के साथ

शिशु को सबल युवा बनाने में मां की भूमिका अनुपम है।

क्या पता था कि इस मकान और ज़मीन की खातिर एक दिन उसे अपना खून देना पड़ेगा।

पर फिर जीवी कुछ शान्त हुई जब लोगों ने उसे बताया कि उसका बेटा अपने देश की खातिर लड़ता हुआ शहीद हुआ है और वह खुद एक शहीद की मां है—एक बहादुर शहीद की मां! और गांव को ही नहीं, सारे देश को उस पर गर्व है।

जीवी के आंसू सूख गये। या शायद वे खत्म हो गये थे।

उसके तीन दिन बाद राज्य के मंत्री उस गांव में आया। उस छोटे-से गांव में किसी मन्त्री का आना छोटी बात नहीं थी। मन्त्री सीधे जीवी के घर गया और उसे दिलासा दिया फिर उसने बधाई दी कि उसने ऐसे बहादुर बेटे को जन्म दिया था। उस समय जीवी रोना भी चाहती थी, नहीं भी रोना चाहती थी। बेटा गंवा कर उसने यह सब कुछ पाया था। तब उसने महसूस किया कि वह अब पुरानी जीवी नहीं थी। एक नयी चेतना उसमें जागी और उसे अपना आपा बदला हुआ प्रतीत हुआ। तीन दिन पहले तो उसके साथ सारा गांव उसके बेटे की मौत पर रोया था। तब लगा कि और भी कई गांव थे जो उसके बेटे की मौत पर रो रहे थे। मन्त्री की आंखों में भी आसूं थे। और मन्त्री ने कहा था कि सारे देश को उसके बेटे पर गर्व है और खुद उस पर भी गर्व है, जो उस शहीद की मां है। और मायें उससे प्रेरणा लेंगी, उसकी बहादुरी के गुण गायेंगी।

उसके बाद गांव में मंत्री का भाषण होना था। आसपास के गांवों के लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां जमा थे। जीवी को लग रहा था जैसे वे सब उसी के लिए आये थे—उसके बेटे की मौत पर शोक प्रकट करने के लिए और उसे देखने के लिए जो अब एक शहीद की मां थी।

मंत्री ने भाषण देना शुरु किया।

जीवी मंच पर मंत्री के पास बैठी हुई थी। उसे सैंकड़ों आंखें अपनी और देखती हुई प्रतीत हो रही थीं। उसे अजीब सा लग रहा था। कितने लोग थे सामने, पर उसका बेटा नहीं था। सैकड़ों आखें उसकी और देख रही थीं, पर उनमें उसके बेटे की दो आखें नहीं थीं। कहीं आज वह यहां होता तो कितना खुश होता।... तभी जीवी के दिल में एक टीस उठी और उसने चाहा कि रो दे, चीखें मारे, और छाती पीट ले। पर वह सम्भली। कहीं आज बेटा यहां होता, तो क्या यह सच होता? यह सच है, क्योंकि बेटा नहीं है। वह नहीं है, तभी तो आज ये इतने चेहरे दीख रहे हैं, इतनी आखें झांक रही हैं। यह आखें...जीवी को लगा, जैसे वे सब उसके बेटे की आखें हैं। वे आखें हैं। वे आखें, जो उस समय उसके बेटे को देख रही थीं और उनमें आंसू थे।

उस समय मंत्री उसके बेटे की बहादुरी का ज़िक्र कर रहा था और कह रहा था कि ऐसे बेटे की मां की कोख सफल हो गई है। देश को ऐसे बेटों की और ऐसी मांओं की ज़रूरत है। जब तक देश में ऐसी मायें हैं और उनके ऐसे बेटे हैं, कोई दुश्मन हमारे देश पर कब्ज़ा नहीं कर सकता।...

अपने भाषण के अन्त में मंत्री ने लोगों से अनुरोध किया कि इस कठिन समय में वे देश को अपनी मदद दें।

लोगों में ऐसा उत्साह था कि जिससे जो भी बन सका, देने लगा। जिनके पास उस समय देने को कुछ नहीं था, वे लिखवाने लगे।

जीवी हैरान बनी यह सब देख रही थी। अब उसके दिल में बेटे की मौत दर्द के साथ एक गर्व भी था। उसे लगा कि मरता तो हर कोई है, पर ऐसे कोई नहीं मरता, जैसे कि उसका बेटा मरा है। एक बेटे को गंवा कर उसने कितना कुछ पाया है। उसने बेटे पर क्या-क्या आशायें बांधी थीं। आखिर सब आशायें पूरी हो गईं। घर पक्का बन गया। ज़मीन मौल ले ली। अच्छे दिन देखे। और भी सब कुछ मिल गया। पर यह जो आज हो रहा है, क्या इसकी भी कभी आशा थी? कितने नौजवान आज उसके बेटे बन गये हैं। वह सामने बैठा हुआ नौजवान तो सचमुच ही उसका बेटा बन गया है। जीवी तरबूजी पगड़ी वाले एक नौजवान को देखने लगी। अभी कुछ समय पहले वह मंत्री के पास आया था और उसने कहा था, "जीवी चाची निपूती नहीं रहेगी। आज से वह मुझे अपना बेटा समझे। मेरे घर में चल कर रहे। इसे किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी और वह सचमुच महसूस करेगी कि इसका बेटा मरा नहीं है।"

लोग अभी तक रुपये, गहने, कपड़े आदि दे रहे थे।

तभी जीवी उठी और उसने मंत्री के सामने खड़ी हो कर कहा, "मैं भी कुछ देना चाहती हूं।"

"अब तुम और क्या दोगी?" मंत्री ने सजल आंखों से कहा।" तुम सब कुछ तो दे चुकी हो।"

"हां, सब कुछ दे चुकी हूं," जीवी ने कहा, "पर अभी कुछ बचा हुआ भी है।"

"क्या?" मंत्री ने पूछा।

"मेरा घर, और दो खेत, और एक भैंस। कुछ नकद रुपये भी हैं।"

"यह सब दे दोगी, तो फिर गुज़ारा कैसे करोगी?"

जीवी आंखों में आंसू भर कर हलका-सा मुस्कराई। फिर, उसने कहा, "वह देखिये," उसने सामने बैठे पगड़ी वाले नौजवान की और संकेत किया। "वह मेरा बेटा है। अभी आया था न आपके पास और कह रहा था कि आज मैं उसकी मां हूं। सो अब वही मेरा गुज़ारा करेगा। और फिर अभी तो मेरे हाथ-पांव चलते हैं। अपना गुज़ारा मैं खुद कर सकती हूं। कई साल पहले भी मैंने इसी तरह अपना गुज़ारा करना शुरु किया था। आज भी कर सकती हूं। अब फिर से एक नई ज़िन्दगी शुरु करुंगी। □

बी-19 सन एण्ड सी, वरसोवा रोड, बम्बई-61